बजट 2012-2013

वित्त मंत्री

प्रणब मुखर्जी

का

भाषण

16 मार्च, 2012

अध्यक्ष महोदया,

मैं वर्ष 2012-13 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, यह वर्ष पुनरुत्थान में व्यवधान का वर्ष रहा। जब एक वर्ष पूर्व, मैने बजट प्रस्तुत किया था, हमारे समक्ष अनेक चुनौतियां थीं, परन्तु यह अनुभूति भी थी कि विश्व अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है। बजट आशा की पहली झलक के बीच प्रस्तुत किया गया था। परन्तु स्थितियां आगे चलकर बदल गई। यूरो ज़ोन में सॉवरन ऋण संकट और गहराया, मध्यपूर्व में राजनीतिक उठा-पटक ने व्यापक अनश्चितता पैदा की, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, जापान में भूकम्प आया और, कुल मिलाकर, स्थिति निराशाजनक बनी रही।

2. हालांकि मेरा विश्वास है कि आत्मसंतोष की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, न ही किसी के अपने देश में क्या घटित हो रहा है, इसके लिए कोई बहाना होना चाहिए, यदि हम विश्व की जमीनी हकीकत की अनदेखी करें तो हम भ्रम में रहेंगे। वैश्विक संकट ने हमें प्रभावित किया है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, दो पूर्ववर्ती वर्षों के प्रत्येक वर्ष में 8.4 प्रतिशत की दर पर हुए विकास के बाद, 2011-12 में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। यद्यापि हम अपनी अर्थव्यवस्था में इस मंदी के प्रतिकूल प्रभाव को सीमित करने में सफल रहे हैं, तो भी इस वर्ष का निष्पादन निराशाजनक रहा है परन्तु यह भी एक सच्चाई है कि किन्हीं भी अन्य देशों की अपेक्षा भारत आर्थिक विकास के मोर्चे पर अग्रणी देशों में बना हुआ है।

3. विगत दो वर्षों में अधिकांश समय हमें लगभग दो अंकों की समग्र मुद्रास्फीति से जूझना पड़ा। इस अवधि के दौरान हमारे मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत उपाय घरेलू मुद्रास्फीतिकारी दबाबों को काबू करने की दिशा में केन्द्रित रहे। सख्त मौद्रिक नीति ने निवेश और उपभोग की वृद्धि पर प्रभाव डाला। राजकोषीय नीति में सब्सिडियों पर बढ़े हुए परिव्यय और उपभोक्ताओं पर ईंधन की ऊंची कीमतों का असर सीमित करने हेतु शुल्क में कटौतियां करनी पड़ी। इसके परिणामस्वरूप विकास धीमा हुआ और राजकोषीय शेष की स्थिति खराब हुई।

4. परन्तु मैं अच्छी बात भी बताना चाहूंगा, कृषि और सेवा क्षेत्र लगातार अच्छा कर रहे हैं, भारत के धीमे विकास का कारण लगभग पूरी तरह कमजोर औद्योगिक वृद्धि को माना जा सकता है। हालांकि हमारे पास 2011-12 की अंतिम तिमाही के सकल आंकड़े नहीं हैं, इस अवधि से सम्बंधित संकेतक यह दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था में अब सुधार हो रहा है। कोयला, उर्वरक, सीमेंट और बिजली सेक्टरों में सुधार के लक्षण हैं। ये चुनिंदा अहम क्षेत्र हैं जिनका प्रभाव सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र पुनरुत्थान की दिशा में अग्रसर प्रतीत होता है।

5 हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जब कठोर निर्णय लेना आवश्यक हो गया है। हमें अपने वृहत आर्थिक माहौल में सुधार लाना है और मध्यावधि में उच्च विकास को बनाए रखने हेतु घरेलू विकास के कारकों को सुदृढ़ करना है। हमें सुधारों की गति में तेजी लानी होगी और अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष प्रबंधन में सुधार करना होगा।

6. हम बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। इस योजना का लक्ष्य "तीव्रतर, सतत और अधिक समावेशी विकास" है। यह योजना 2012-13 के बजट प्रस्तावों से आरंभ होगी। इसमें उल्लिखित प्राथमिकताओं के अनुरूप, मैने पांच उद्देश्यों की पहचान की है जिन पर हमें आगामी वित्त वर्ष में कारगर ढंग से ध्यान देना चाहिए। ये हैं:

- घरेलू मांग से अभिप्रेरित विकास पुनरुत्थान पर ध्यान केन्द्रित करना;
- निजी निवेश में उच्च वृद्धि के तीव्र पुनरुत्थान हेतु स्थितियां पैदा करना;
- कृषि, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों, विशेषकर कोयला, विद्युत, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और नागर विमानन में आपूर्ति संबंधी बाधाओं पर ध्यान देना;
- विशेषकर कुपोषण की समस्या से अत्यधिक ग्रस्त 200 जिलों में कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए निर्णायक उपाय करना; और
- वितरण प्रणालियों, गवर्नेंस और पारदर्शिता में सुधार लाने; और काले धन तथा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे निर्णयों के समन्वित कार्यान्वयन में तेजी लाना।

7. आज भारत की ऐसी वैश्विक जिम्मेदारियां हैं जो पहले नहीं थी। वैश्विक आर्थिक नीति निर्माताओं के उच्च स्तर पर हमारी मौजूदगी कुछ संतोष का विषय है। लेकिन इससे हमारे कंधों पर नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। यदि भारत अपनी आर्थिक मजबूती को बढ़ाना जारी रख सके तो यह विश्व अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता का स्रोत हो सकता है और डांवाडोल वैश्विक पूंजी के लिए एक सुरक्षित गंतव्य मुहैया करा सकता है।

8. मैं जानता हूँ कि केवल शब्द ही पर्याप्त नहीं है। हमें इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अमल में लाने योग्य प्रस्तावों से युक्त एक विश्वसनीय कार्ययोजना की आवश्यकता है। ऐसा करने के अपने प्रयास में मुझे माननीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह का योग्य मार्गदर्शन और यूपीए अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी के मजबूत समर्थन का लाभ मिला है।

अब मैं, अर्थव्यवस्था के संक्षिप्त सिंहावलोकन से अपनी बात आरंभ करता हूँ।

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

9. मैंने कल सदन के पटल पर वर्ष 2011-12 की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की थी। इसमें पिछले बारह महीनों में अर्थव्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 में, वास्तविक अर्थों में, 6.9 प्रतिशत पर बढ़ने का अनुमान है। यह वृद्धि कृषि में 2.5 प्रतिशत, उद्योग में 3.9 प्रतिशत और सेवाओं में 9.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में, यह एक बड़ी गिरावट है, और मुख्यतया औद्योगिक वृद्धि, विशेषकर निजी निवेश में गिरावट के कारण है। ऋण की बढ़ती लागत और कमजोर घरेलू कारोबारी माहौल ने इस गिरावट में इज़ाफा किया।

10. समग्र मुद्रास्फीति वर्ष में अधिकांशतया ऊंची बनी रही। केवल दिसम्बर, 2011 में जाकर यह कुछ कम होकर 8.3 प्रतिशत तक आई और जनवरी 2012 में 6.6 प्रतिशत रह गई। मासिक खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी 2010 में 20.2 प्रतिशत थी जो कम होकर मार्च 2011 में 9.4 प्रतिशत रह गई और जनवरी 2012 में यह ऋणात्मक हो गई। यद्यपि फरवरी 2012 की मुद्रास्फीति के आंकड़े मामूली रूप से बढ़े हैं, मुझे आशा है कि अगले कुछ महीनों में समग्र मुद्रास्फीति और कम होगी और उसके बाद स्थिर हो जाएगी।

11. भारत की मुद्रास्फीति मुख्यतया संरचनात्मक है। यह मुख्य रूप से कृषि संबंधी आपूर्ति की अड़चनों और वैश्विक लागतों में वृद्धि से प्रभावित होती है। इस बात के साक्ष्य हैं कि उच्च मुद्रास्फीति की दीर्घकालिक अवधियों के सामान्य व्यवहार बन जाने की प्रवृत्ति होती है। सौभाग्यवश, खाद्य आपूर्ति प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु वितरण, भण्डारण और विपणन व्यवस्था की खामियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों ने हमें मुद्रास्फीति के अधिक कारगर प्रबंधन में सहायता की है और इससे खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट आई है।

12. मौजूदा वर्ष की पहली छमाही में भारत के वैदेशिक व्यापार का घटनाक्रम उत्साहवर्धक था। अप्रैल-जनवरी 2011-12 के दौरान निर्यात में 23 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 243 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया, जबकि 391 बिलियन अमरीकी डालर के आयात में 29 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई। उत्साहजनक बात यह है कि भारत ने निर्यात और आयात बाजारों का सफलतापूर्वक विविधीकरण किया है। कुल व्यापार में आसियान सहित, एशिया की भागीदारी 2000-01 में 33.3 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 की पहली छमाही में 57.3 प्रतिशत हो गई है। इससे हमें यूरोप और कुछ सीमा तक संयुक्त राज्य अमरीका से उत्पन्न होने वाले वैश्विक संकट के प्रभाव का सामना करने में मदद मिली है।

13. 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में चालू खाता घाटा लगभग 3.6 प्रतिशत होने की सम्भावना है। इसने दूसरी और तीसरी तिमाहियों में कम हुए निवल पूंजी अन्तर्प्रवाहों सहित विनिमय दर पर प्रभाव डाला।

14. सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विहंगावलोकन से और कठिन वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं 2012-13 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.6 प्रतिशत +/- 0.25 प्रतिशत होने की आशा करता हूँ।

15. मुझे आशा है कि अगले वर्ष औसत मुद्रास्फीति कम रहेगी। मुझे यह भी उम्मीद है कि घरेलू वित्तीय बचतों में सुधार के चलते चालू खाता घाटा अपेक्षाकृत कम रहेगा।

II. विकास

अब मैं विकास और राजकोषीय समेकन पर आता हूँ।

16. 2011-12 में प्रत्यक्ष कर राजस्व में कम वसूली तथा बढ़ी हुई सब्सिडियों के कारण हमारे राजकोषीय शेष की स्थिति खराब हुई है। दोनों क्षेत्रों में पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय हमारे अन्तर्निहित अनुमानों को बाद के घटनाक्रमों ने झुठला दिया। उच्च ब्याज दरों और सामग्री की बढ़ती लागतों के कारण लाभ की गुंजाइश कम हो गई। इसने कारपोरेट करों में वृद्धि को प्रभावित किया। इसके अलावा, 90 अमरीकी डालर प्रति बैरल के अनुमानों की तुलना में 2011-12 में कच्चे तेल का औसत मूल्य 115 अमरीकी डालर से अधिक होने की सम्भावना है। इसने सब्सिडियों पर पूर्वानुमान से अधिक परिव्यय को आवश्यक बना दिया। वैश्विक माहौल में जारी अनिश्चितता ने हमारे लिए यह आवश्यक बना दिया है कि भविष्य में होने वाले झटकों का सामना करने हेतु पर्याप्त क्षमता सृजित करने के लिए राजकोषीय समेकन और बृहत आर्थिक आधारभूत तत्वों को मजबूत करने के बीच एक संतुलन बनाया जाए।

राजकोषीय समेकन

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम

17. केन्द्र में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम अधिनियम) और राज्य स्तर पर तदनुरूपी अधिनियमों का कार्यान्वयन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से पूर्व हमारे राजकोषीय शेष के सफल समेकन में अहम था। संयोगवश संकट का प्रादुर्भाव उस वर्ष हुआ जब 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे को समाप्त करने के अधिदेशित लक्ष्यों को हासिल किया जाना था। उस समय राजकोषीय प्रोत्साहन देने के कारण सरकार को इन लक्ष्यों से हटना पड़ा। पिछले बजट भाषण में मेरी घोषणा के बाद, मैं, अब वित्त विधेयक, 2012 के भाग के रूप में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन पुरःस्थापित कर रहा हूँ।

व्यय सुधार

18. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम में संशोधनों के अंतर्गत केन्द्र के राजकोषीय लक्ष्य बजट दस्तावेजों में दिए गए है। इस बीच, मैं इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख करना चाहूंगा जो व्यय सुधार की दिशा से उठाए जाने वाले कदम हैं। पहला, राजस्व खाते में संरचनात्मक असंतुलनों को दूर करने हेतु पिछले बजट में शुरु की गई प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को एक राजकोषीय मानदंड के रूप में लाया जा रहा है। प्रभावी राजस्व घाटे और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के बीच अंतर है। इस पर ध्यान केन्द्रित करने से राजस्व घाटे के उपभोग संबधी घटक में कमी लाने और अभिवृद्धित पूंजीगत व्यय हेतु क्षमता सृजित करने में मदद मिलेगी।

19. दूसरा, इस अधिनियम में ''मध्यावधि व्यय रूपरेखा विवरण'' के लिए प्रावधान किया जा रहा है। यह विवरण व्यय संकेतकों के लिए तीन वर्षीय चल लक्ष्य निर्धारित करेगा। यह प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं हेतु संसाधनों के आवंटन के लिए नए सिरे से कार्रवाई करने और अपनी उपयोगिता खो चुकी अन्य योजनाओं को बन्द करने में सहायक होगा। इससे बहुवर्षीय बजटिंग फ्रेमवर्क में अधिक निश्चितता आएगी और व्यय प्रबन्ध में कार्यकुशलता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

20. बारहवीं योजना के कार्यान्वयन में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को सरल एवं कारगर बनाने तथा उनकी संख्या घटाने और आयोजना एवं आयोजना-भिन्न वर्गीकरण का समाधान करने के लिए विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निधियों की बेहतर पकड़ तथा उपयोग को सुगम बनाने के लिए केन्द्रीय आयोजना स्कीम मॉनिटरिंग प्रणाली का विस्तार किया जाएगा।

सब्सिडी

21. राजकोषीय समेकन में कर - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ाने तथा व्यय में कमी लाने संबंधी दोनों प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में, हमें अपने राजस्व व्यय, विशेष रूप से सब्सिडियों में हुई बढ़ोतरी पर व्यापक रूप से ध्यान देने की जरूरत है। केन्द्र द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सब्सिडियों में खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडियां शामिल हैं। इस स्थिति पर हमारे विकास में प्रदान की जाने वाली कुछ सब्सिडियां अपरिहार्य हैं। लेकिन जब वे अर्थव्यवस्था में वृहद् आर्थिक मूलभूत सिद्धान्तों से समझौता करती हैं और इससे भी आगे जब वे आशयित लाभग्राहियों तक नहीं पहुंचती तो अवांछनीय हो जाती हैं।

22. सरकार ने निर्णय लिया है कि 2012-13 से खाद्य से सम्बद्ध सब्सिडियां और खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। अन्य सभी सब्सिडियों को उस सीमा तक वित्तपोषित किया जाएगा जहां तक कि वे अर्थव्यवस्था में बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के बनी रह सकें। मेरा प्रयास होगा कि 2012-13 में केन्द्रीय सब्सिडियों पर होने वाले व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से नीचे रखा जाए। आगामी तीन वर्षों में इसे पुनः घटाकर सकल घरेलू उत्पाद के 1.75 प्रतिशत पर लाया जाएगा। सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ऐसा उपाय करना आवश्यक है। हमारा प्रयास अब सब्सिडियों की बेहतर लक्षित प्रणाली और दोषरहित सुपुर्दगी व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने पर होगा।

23. श्री नन्दन नीलेकणि की अध्यक्षता में सब्सिडी के प्रत्यक्ष अन्तरण के लिए आईटी नीति के सम्बन्ध में कार्यबल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इन सिफारिशों के आधार पर, मोबाइल आधारित उर्वरक प्रबन्ध प्रणाली (एमएफएमएस) तैयार की गयी है ताकि विनिर्माणकर्ता से लेकर खुदरा क्षेत्र तक उर्वरकों की आवाजाही तथा सब्सिडियों पर बराबर नजर रखी जा सके। इसे 2012 के दौरान सम्पूर्ण देश में लागू किया जाएगा। खुदरा व्यापारी और अन्त में किसानों को सब्सिडी का प्रत्यक्ष अन्तरण अनुवर्ती चरणों में किया जाएगा। उर्वरकों के दुरुपयोग में कमी लाकर सब्सिडियों पर व्यय को कम करने के इस उपाय से 12 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे।

24. सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तीन तेल विपणन कम्पनियों ने ग्राहक सेवा में सुधार करने तथा रिसाव कम करने हेतु एलपीजी पारदर्शिता पोर्टल्स की शुरुआत की है। बाजार मूल्य पर एलपीजी के क्रय तथा सब्सिडी की प्रतिपूर्ति सीधे लाभग्राही के बैंक खाते में करने की एक प्रायोगिक परियोजना मैसूर में शुरु की गई है। किरोसीन पर सब्सिडी के प्रत्यक्ष अन्तरण को लाभग्राही के बैंक खाते में करने की ऐसी ही एक प्रायोगिक परियोजना राजस्थान के अलवर जिले में प्रारम्भ की गयी है। झारखण्ड राज्य में आधार प्लेटफार्म को भी पीडीएस राशन कार्डों की वैधता हेतु सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा रहा है।

25. इन प्रायोगिक परियोजनाओं से यह परिलक्षित होता है कि सब्सिडी व्यय में पर्याप्त किफायती 'आधार' प्लेटफार्म के उपयोग से प्राप्त की जा सकती है। हमारा प्रयास होगा कि इन 'आधार' समर्थित भुगतानों में आगामी छह महीनों के भीतर कम से कम 50 चुनिंदा जिलों में अनेक सरकारी योजनाओं हेतु और तेजी लाई जाए।

कर सुधार

26. जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक अगस्त 2010 में संसद में पुरःस्थापित किया गया था। हमारी यह पूरी इच्छा थी कि इस प्रत्यक्ष कर संहिता को 01 अप्रैल, 2012 से लागू किया जाए। तथापि, हमें 9 मार्च, 2012 को संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हम इस रिपोर्ट की शीघ्र जांच करेंगे और शीघ्रातिशीघ्र प्रत्यक्ष कर संहिता के अधिनियमन हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे।

27. इसी प्रकार, संविधान संशोधन विधेयक, जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन की दिशा में एक प्रारम्भिक उपाय है, मार्च, 2011 में संसद में पुरःस्थापित किया गया था और यह संसदीय स्थायी समिति के समक्ष है। चूंकि हमें इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है, केन्द्र तथा राज्य के वस्तु एवं सेवा कर हेतु मॉडल विधान का मसौदा तैयार करने का कार्य राज्यों के साथ परामर्श करते हुए प्रगति पर है।

28. राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) की संरचना को अनुमोदित कर दिया गया है। यह नेटवर्क एक राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता केन्द्र के तौर पर स्थापित किया जाएगा और अगस्त 2012 तक काम करना शुरु कर देगा। जीएसटीएन सभी राज्यों के लिए साझेदारी आधार पर समान पैन-आधारित पंजीकरण, विवरणियां दर्ज करना और भुगतान प्रोसेसिंग को कार्यान्वित करेगा। पैन का उपयोग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों दोनों के लिए समान पहचानकर्ता रूप में किया जाएगा जो पारदर्शिता को बढ़ाएगा तथा कर अपवंचन को रोकेगा। मैं सभी सहयोगियों से अनुरोध करता हूँ कि वे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इन ऐतिहासिक विधानों के शीघ्र पारित किए जाने हेतु समर्थन दें।

विनिवेश नीति

29. सरकार ने सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के विनिवेश सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण को पुनः व्यक्त किया है। इन उद्यमों को निजी क्षेत्र की तुलना में वापसी खरीदों तथा स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध जैसी कार्रवाइयों के सम्बन्ध में एक समान भूमिका दी जा रही है। सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों के लिए राजकोष प्रबन्ध विकल्प भी बढ़ाए गए हैं। इससे सभी पण्यधारियों हेतु मूल्य तथा संसाधनों के प्रकटीकरण के अलावा, सरकारी आस्तियों से सम्बद्ध प्रतिलाभों में सुधार तथा विनिवेश प्रक्रिया के लिए पारदर्शी माहौल का समर्थन करने में सहायता मिलेगी।

30. 2011-12 में, ₹ 40,000 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में, सरकार विनिवेश से लगभग ₹ 14,000 करोड़ जुटाएगी। 2012-13 में, मैं विनिवेश के माध्यम से ₹ 30,000 करोड़ जुटाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि जहां हम सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के स्वामित्व में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध हैं, वहीं इनमें कम से कम 51 प्रतिशत स्वामित्व तथा प्रबन्ध नियंत्रण सरकार के पास होगा।

निवेश माहौल में मजबूती लाना

31. घरेलू निवेश माहौल विगत वर्ष कई कारणों से प्रभावित रहा। समय की मांग है कि नीतिगत निर्णय तेजी से लिए जाएं और बड़ी परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

32. संगठित रिटेल, उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों दोनों को लाभान्वित करते हुए, भारी किफायत की वजह से मध्यस्थ लागत को घटाने में मदद करता है। वर्तमान में, एफडीआई की अनुमति सिंगल ब्रांड तथा 'नकद दो और माल लो' थोक व्यापार में 100 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध है। विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना करने पर मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्रदान करने का निर्णय आस्थगित रखा गया है। राज्य सरकारों से परामर्श करके एक व्यापक सर्वसम्मति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अग्रिम मूल्य-निर्धारण करार

33. विस्तारित सीमा-पार उत्पादन श्रृंखलाओं तथा एक ही समूह की इकाइयों के भीतर बढ़ते व्यापार के साथ वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में, अग्रिम मूल्य-निर्धारण करार कर-मुकदमेबाजी में भारी कमी ला सकता है और विदेशी निवेशकों को कर निश्चितता की व्यवस्था प्रदान कर सकता है। यद्यपि अग्रिम मूल्य-निर्धारण करार के प्रावधान को प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 में शामिल किया गया है, मैं वित्त विधेयक, 2012 में इसको लाकर इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वित्तीय क्षेत्र

34. बचतकर्त्ताओं तथा निवेशकों के बीच अधिक सक्षम बाजार मध्यस्थता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर, वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए गए हैं।

35. वित्तीय लिखतों में निर्बाध बचतों को प्रोत्साहित करने तथा घरेलू पूंजी बाजार की संरचना में सुधार करने हेतु, राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना नामक एक नई योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। यह योजना ऐसे नए खुदरा निवेशकों को 50 प्रतिशत की आयकर कटौती की अनुमति प्रदान करेगी जो सीधे ₹ 50,000 इक्विटियों में निवेश करते हैं तथा जिनकी वार्षिक आय ₹ 10 लाख से कम है। इस योजना की समयबंदी (लॉक-इन पीरियड) 3 वर्ष होगी। योजना का ब्यौरा यथासमय घोषित किया जाएगा।

पूंजी बाजार

36. वर्ष 2011-12 के दौरान, हमने पूंजी बाजार को व्यापक रूप देने तथा आधारभूत संरचना क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक उपाय किए हैं। किए गए उपायों में दीर्घकालिक आधारभूत संरचना बांडों, कारपोरेट बांडों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में एफआईआई निवेश सीमा बढ़ाना शामिल है। विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) संबंधी सीमा भी बढ़ायी गयी है तथा अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों को विनिर्दिष्ट भारतीय म्यूचुअल फंडों तथा सीधे इक्विटियों में निवेश की अनुमति भी दी गयी थी।

37. मैं, अब पूंजी बाजार में सुधारों को और तीव्र करने हेतु निम्न आगामी उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:

- अर्हक विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) को भारतीय कारपोरेट बांड बाजार में पहुंच की अनुमति प्रदान करना;
- प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, उनकी लागत कम करना तथा कम्पनियों को छोटे कस्बों में अधिक खुदरा निवेशकों तक पहुंच बनाने में मदद करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, मौजूदा आईपीओ प्रक्रिया के अलावा, मैं, कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य करने का प्रस्ताव करता हूँ कि वे स्टॉक एक्सचेंजों के राष्ट्रव्यापी ब्रोकर नेटवर्क के जरिए इलेक्ट्रानिक रूप में ₹10 करोड़ तथा अधिक की राशि के आईपीओ जारी करें;
- शेयरधारक की वोटिंग सम्बन्धी मौजूदा प्रक्रिया के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधाओं के जरिए कम्पनियों के महत्वपूर्ण निर्णयों में शेयरधारक की व्यापक भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना, जिसे प्रारम्भ में शीर्ष सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए अनिवार्य बनाया जाएगा; और
- उच्चतम सीमा के अधीन भारतीय पूंजी बाजार में अपेक्षाकृत अधिक विदेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों में दो तरफा समरूपता की अनुमति देना।

विधायी सुधार

38. हमें ''पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011'', ''बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011'' तथा ''बीमा विधि (संशोधन) विधेयक 2008'' के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं। इन विधेयकों के सम्बन्ध में सरकारी संशोधनों को संसद के इस सत्र में लाया जाएगा।

39 वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधारों को और आगे बढ़ाने के लिए, सरकार संसद के बजट सत्र में निम्नलिखित विधेयक लाने का प्रस्ताव करती है;

- सूक्ष्म वित्त संस्था (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012;
- राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012;
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012;
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012;
- भारतीय स्टांप (संशोधन) विधेयक, 2012; और
- भारतीय लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण विधेयक, 2012 ।

40. प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली विधि प्रवर्त्तन (संशोधन) विधेयक, 2011 संसद में पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है।

बैंकों और वित्तीय स्वामित्व वाली कम्पनियों का पूंजीकरण

41. सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय दशा संरक्षित करने के प्रति कृतसंकल्प है। वर्ष 2012-13 के लिए, मैं नाबार्ड सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पूंजीकरण के लिए ₹ 15,888 करोड़ मुहैया कराने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार वित्तीय स्वामित्व वाली एक कंपनी बनाए जाने की संभावना भी तलाश रही है। यह सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाएगी।

42. बैंक भुगतान संरचना को वैश्विक मानकों के समकक्ष लाने के लिए, एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है, जो 2012-13 में कार्यान्वित की जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया में दुविधा तथा दोहराव से बचने और आंकड़ों को अद्यतन बनाए रखने की दृष्टि से, 2012-13 में एक केन्द्रीय अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निक्षेपागार स्कीम तैयार की जाएगी।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

43. मौजूदा वर्गीकरण की दुबारा जांच करने और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर संशोधित दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सम्बन्धित स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके संशोधित दिशा-निर्देशों को जारी कर दिया जाएगा।

वित्तीय समावेशन

44. वर्ष 2010-11 में, 2000 से ज्यादा आबादी वाली बस्तियों में बिजनेस सम्पर्कियों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए ''स्वाभिमान'' अभियान शुरु किया गया था। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मार्च 2012 तक समाविष्ट की जाने वाली 73,000 हजार अभिज्ञात बस्तियों में से, लगभग 70,000 बस्तियों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई गयी हैं। इसके साथ ही, 2.55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। शेष बस्तियों को भी 31 मार्च, 2012 तक समाविष्ट किए जाने की संभावना है। अगले कदम के तौर पर, इन इलाकों में बहुत छोटी-छोटी (अल्ट्रा स्मॉल) शाखाएं खोली जा रही हैं। यहां बिजनेस सम्पर्की नकद लेन-देन करेंगे।

45. वर्ष 2012-13 में, पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के 1000 से अधिक आबादी वाली बस्तियों में तथा जनगणना 2011 के अनुसार 2,000 से अधिक की आबादी वाली अन्य बस्तियों में ''स्वाभिमान'' अभियान चलाने का प्रस्ताव करता हूँ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

46. ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पूरा करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत में 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से, 81 ने सफलतापूर्वक स्वयं को कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) में बदल लिया है और राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक फन्ड अन्तरण प्रणाली को अपना चुके हैं।

47. सरकार ने वित्तीय तौर पर कमजोर 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीकरण की प्रक्रिया शुरु की है और फरवरी 2012 के अन्त तक इनमें से 12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का काम पूरा हो चुका है। मैं कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीकरण स्कीम को अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि सभी राज्य इसमें अपना योगदान कर सकें।

III. अवसंरचना और औद्योगिक विकास

मैं अब अवसंरचना और औद्योगिक विकास की ओर आता हूँ।

48. पर्याप्त अवसंरचना का अभाव हमारे विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इस संबंध में अभी तक हमारे द्वारा अपनाई गई कार्यनीति में सरकारी निवेश और सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के सुमेल से अवसंरचना में निवेश को बढ़ाना रहा है। बारहवीं योजना अवधि के दौरान, अवसंरचना निवेश बढ़कर ₹ 50 लाख करोड़ तक हो जाएगा। आशा है कि इसकी आधी राशि निजी क्षेत्र से आएगी।

49. अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी सहायता योजना के अन्तर्गत व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ), इस क्षेत्र में निजी निवेश आकृष्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण लिखत है। इस वर्ष यह निर्णय लिया गया है कि सिंचाई (बांध, चैनलों और तटबंधों) टर्मिनल बाजारों, कृषि मंडियों में सामान्य अवसंरचना, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं और उर्वरक क्षेत्र में पूंजी निवेश को इस स्कीम के अन्तर्गत वीजीएफ के लिए पात्र बनाया जाए। तेल एवं गैस/एलएनजी भण्डार सुविधाओं तथा तेल एवं गैस पाइपलाइनों, दूर संचार के लिए स्थायी नेटवर्क और दूर-संचार टावरों को भी वीजीएफ के लिए पात्र क्षेत्र बनाया जाएगा।

50. सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी मोड में रक्षा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा संयुक्त उद्यम की कंपनी स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश अनुमोदित किए हैं। इससे रक्षा क्षेत्र में पर्याप्त आत्म-निर्भरता हासिल करने और अति आधुनिक रक्षा सामग्री उत्पादन का दोहरा प्रयोजन सिद्ध होगा।

51. दीर्घ स्वरूप की पेंशनों तथा बीमा निधियों के लिए विदेशी बाजार के सीधे दोहन के लिए मैने अवसंरचना बॉण्ड निधियों के गठन की घोषणा की थी। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ₹ 8000 करोड़ की प्रारंभिक राशि से पहली अवसंरचना ऋण निधि इस माह के आरम्भ में शुरु की गयी है।

52. वर्ष 2011-12 के लिए, अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ₹ 30,000 करोड़ के करमुक्त बांडों की घोषणा की गयी थी। मैं, 2012-13 में इसे बढ़ाकर ₹ 60,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें एनएचएआई के लिए ₹ 10,000 करोड़, आईआरएफसी के लिए ₹ 10,000 करोड़, आईआईएफसीएल के लिए ₹ 10,000 करोड़, हुडको के लिए ₹ 5,000 करोड़, राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए ₹ 5,000 करोड़, सिडबी के लिए ₹ 5,000 करोड़, पत्तनों के लिए ₹ 5,000 करोड़ और विद्युत के लिए ₹ 10,000 करोड़ शामिल हैं।

53 अवसंरचना क्षेत्रों की एक सुमेलित मास्टर सूची सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। इससे नीतिगत तथा विनियामक व्यवस्थापन में अस्पष्टता दूर करने और अवसंरचना क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

54. अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण मिलने में सुविधा के लिए, भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने ऋण बढ़ाने और इससे वित्त प्राप्त करने के लिए एक संरचना बनायी है। सीधे ऋण लेने तथा विकास-कर्ताओं के सैद्धान्तिक अनुमोदन की स्वीकृति के लिए सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं हेतु निविदाएं आमंत्रित करने से पहले, एक सहायता संघ भी बनाया गया है।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

55. सरकार ने 25 अक्टूबर, 2011 को एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य एक दशक के भीतर सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना, और 10 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है। यह नीति पूरे देश में राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण अंचलों (एनआईएमजेड) की स्थापना को प्रोत्साहित करती है।

56. अब मैं, कुछ ऐसे विषयों पर आता हूँ जिन्होंने पिछले महीनों के अवसंरचना और औद्योगिक गतिविधियों को प्रभावित किया है।

विद्युत तथा कोयला

57. विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, ईंधन आपूर्ति संबंधी बाधाएं उत्पादन की संभावनाओं को धूमिल कर रही हैं। इससे मुक्ति के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को परामर्श दिया गया है कि वह उन विद्युत संयंत्रों, जिन्होंने डिसकॉम के साथ दीर्घकालिक पावर परचेज करार निष्पादित कर लिए हैं और जो 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व चालू हो जाएंगे, के साथ ईंधन आपूर्ति करारों पर हस्ताक्षर करें। आबंटित कोयला खानों की आवधिक समीक्षा तथा आवश्यक होने पर वि-आबंटन (डी-अलोकेशन) पर सिफारिशें देने के लिए एक अन्तर्मंत्रालयी दल की स्थापना की जा रही है।

58. मैं, मौजूदा विद्युत परियोजनाओं के अंश निधियन रुपया ऋणों को विदेशी वाणिज्यिक उधारों की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ।

परिवहन : सड़क तथा नागर विमानन

59. सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचडीपी के अन्तर्गत 2011-12 में 7,300 कि.मी. लम्बाई को कवर करते हुए परियोजनाएं देने का अपना लक्ष्य प्राप्त करना नियत किया है। यह 2010-11 में अभी तक प्रदत्त सर्वाधिक लम्बाई 5,082 कि.मी. से 44 प्रतिशत ज्यादा है। 2011-12 के दौरान प्रदत्त 44 परियोजनाओं में से, 24 परियोजनाओं ने प्रीमियम आकृष्ट किया है। मैं, अगले वर्ष एनएचडीपी के तहत 8,800 कि.मी. की लम्बाई कवर करने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। 2012-13 में इस मंत्रालय का आवंटन 14 प्रतिशत बढ़ाते हुए ₹ 25,360 करोड़ कर दिया गया है।

60. सड़क निर्माण परियोजनाओं में सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, सड़कों तथा राजमार्गों, बशर्ते कि वे मूल परियोजनाओं का भाग हों, के लिए पथ-कर प्रणाली को संचालित करने व इसके रख-रखाव पर पूंजीगत व्यय के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

61. एअरलाइन उद्योग वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इस क्षेत्र की उच्च प्रचालन लागत मुख्यतया एवियेशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के ऊंचे दाम के कारण है। एटीएफ की लागत घटाने के लिए, सरकार ने भारतीय वाहकों को वास्तविक प्रयोगकर्ताओं की तरह सीधे एटीएल आयात करने की अनुमति दे दी है।

62. नागर विमानन क्षेत्र के तात्कालिक वित्तीय सरकारों के निवारण के लिए, मै 1 बिलियन अमरीकी डालर की कुल सीमा के अधीन रहते हुए एक वर्ष की अवधि के लिए एयरलाइन उद्योगों की कार्यशील पूंजी जरूरतों के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

63. अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के परिचालन में कार्यरत किसी हवाई परिवहन उपक्रम की इक्विटी में 49 प्रतिशत तक की भागीदारी हेतु विदेशी एयरलाइन कंपनियों को अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर

64. पश्चिमी समर्पित रेल ढुलाई कॉरिडोर के साथ-साथ इसके दोनों ओर दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना में पर्याप्त प्रगति हुई है। सितम्बर 2011 में, 5 वर्ष की अवधि के लिए ₹ 18,500 करोड़ की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई है। जापान के प्रधानमंत्री ने डीएमआईसी परियोजना में जापानी सहायता के रूप में 4.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की घोषणा की है।

आवास क्षेत्र

65. महानगरों और कस्बों में रहने वाले निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवास की कमी को देखते हुए, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:

- कम लागत वाली किफायती आवास परियोजनाओं के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमति देना;
- आवासीय ऋणों के लिए संस्थागत ऋण की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ऋण गारंटी ट्रस्ट निधि की स्थापना;
- ग्रामीण आवास निधि के तहत प्रावधान को ₹3000 करोड़ से बढ़ाकर ₹4000 करोड़ करना;
- ₹15 लाख तक के आवास ऋण पर 1 प्रतिशत की ब्याज सहायता योजना का एक और वर्ष के लिए विस्तार करना, जहाँ मकान की लागत ₹25 लाख से अधिक न हो; और
- प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अप्रत्यक्ष वित्त की सीमा को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करना।

उर्वरक

66. यूरिया में भारत की आयात-निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने यूरिया के लिए मूल्य-निर्धारण और निवेश नीतियों को अंतिम रूप देने हेतु कदम उठाए हैं। आशा है कि इस निवेश नीति के कार्यान्वयन से, देश अगले पाँच वर्षों में यूरिया के विनिर्माण में आत्म-निर्भर हो जाएगा। पोटासिक-फॉस्फेटिक (पीएंडके) उर्वरक के मामले में, सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के प्रयोग को बेहतर विस्तार कार्य के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा। यह उर्वरक पूरी तरह देश में विनिर्मित होता है। वर्धित उत्पादन से पोटासिक-फॉस्फेटिक क्षेत्र में किए जाने वाले आयातों पर हमारी निर्भरता में कमी आएगी।

वस्त्र

67. सरकार ने, हाल ही में, हथकरघा बुनकरों और उनकी सरकारी समितियों के ऋणों की माफी के लिए ₹3,884 करोड़ के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है।

68. मैं अब, पहले से क्रियाशील 4 मेगा हथकरघा क्लस्टरों के अलावा, दो और मेगा क्लस्टरों की घोषणा करता हूँ जिनमें से एक आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम और गुंटुर जिलों को कवर करेगा और दूसरा झारखंड के गोड्डा और पड़ोसी जिलों को। मैं हथकरघा, विद्युत करघा और चर्म क्षेत्रों के 5 मेगा क्लस्टरों की महिला कामगारों के लिए शयनागारों (डॉरमिट्रियों) की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

69. गरीब हथकरघा बुनकरों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु वस्त्र मंत्रालय देश के अनेक भागों में बुनकर सेवा केन्द्रों का संचालन करता है। मैं मिजोरम, नागालैंड और झारखंड में एक-एक केंद्र की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, बारहवीं योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो-टेक्सटाइल्स के संवर्धन और प्रयोग हेतु, ₹500 करोड़ की प्रायोगिक योजना की घोषणा करता हूँ।

70. स्थानीय दस्तकारों और बुनकरों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मैं महाराष्ट्र के इचलकरन्जी में ₹70 करोड़ के बजट आवंटन से एक विद्युतकरघा मेगा क्लस्टर की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

71. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को इक्विटी की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से, मैं सिडबी के साथ ₹5000 करोड़ के इंडिया ऑपरच्यूनिटीज वेंचर फंड की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ।

72. लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ हैं। वे पूँजी जुटाने के लिए मुख्यतया बैंकों और अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले ऋणों पर निर्भर करते हैं। इन उद्यमों के लिए वित्त की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में मुम्बई में दो लघु एवं मध्यम उद्यम एक्सचेंजों की शुरूआत की गई है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सरकारी अधिप्राप्ति नीति

73. सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बाजार पहुँच के संवर्धन के उद्देश्य से, सरकार ने एक नीति को अनुमोदित किया है जिसके तहत मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों को अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 20 प्रतिशत भाग इन उद्यमों से क्रय करना अपेक्षित है। इसमें से, 4 प्रतिशत भाग अनु.जाति/जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद हेतु निर्धारित किया जाएगा।

IV. कृषि

मैं अब कृषि पर आता हूँ।

74. कृषि क्षेत्र सरकार के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र बना रहेगा। कृषि और सहकारिता विभाग के कुल आयोजना परिव्यय में 2011-12 के ₹17,123 करोड़ से 18 प्रतिशत बढ़ोतरी कर 2012-13 में ₹20,208 करोड़ किया जा रहा है।

75. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु परिव्यय को 2011-12 के ₹7860 करोड़ से बढ़ाकर 2012-13 में ₹9217 करोड़ किया जा रहा है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी है कि पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के कार्यक्रम से धान के उत्पादन और उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। पूर्वी भारत के राज्यों ने खरीफ 2011 में सात मिलियन टन के अतिरिक्त धान उत्पादन की सूचना दी है। मैं इस योजना के लिए 2011-12 के ₹400 करोड़ के आबंटन को बढ़ाकर 2012-13 में ₹1000 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ।

76. इस वर्ष, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, मैं विदर्भ सघन सिंचाई विकास कार्यक्रम को ₹300 करोड़ के आवंटन का भी प्रस्ताव करता हूँ। इस योजना का उद्देश्य संरक्षात्मक सिंचाई के तहत और अधिक कृषि क्षेत्रों को लाना है।

77. सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शेष कार्यकलापों का कुछ मिशनों में विलय करना चाहती है। ये मिशन निम्नलिखित हैंः

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य धान, गेहूँ, दलहन, ज्वार-बाजरा आदि और चारे के संबंध में उपज के अंतर को पाटना है। चल रहे एकीकृत दलहन ग्राम विकास, पोषक अनाजों का संवर्धन और त्वरित चारा विकास कार्यक्रम अब इस मिशन का भाग बन जाएंगे;

(ii) अति लघु सिंचाई सहित राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के भाग के रूप में शुरू किया जा रहा है। वर्षासिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को इस मिशन के साथ मिला दिया जाएगा;

(iii) राष्ट्रीय तिलहन और पाम तेल मिशन का उद्देश्य तिलहनों और पाम तेल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है;

(iv) राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य कृषि कार्य में उत्पादकता और दक्षता में सुधार हेतु किसानों द्वारा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर देना है; और

(v) राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य बागवानी में विविधता लाना है। इसमें केसर संबंधी कार्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्रोटीन पूरक आहार मिशन

78. प्रोटीन पूरक आहार मिशन को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। डेयरी क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से, विश्व बैंक की सहायता से ₹2,242 करोड़ की परियोजना शुरू की जा रही है। फ्रेश वाटर अक्वाकल्चर के अलावा, मछली उत्पादन का दायरा समुद्र तटीय अक्वाकल्चर तक बढ़ाने के उद्देश्य से, 2012-13 में परिव्यय को बढ़ाकर ₹500 करोड़ किया जा रहा है। कुक्कुटपालन, सूअरपालन और बकरीपालन के लिए भी उपयुक्त आवंटन किए जा रहे हैं।

कृषि ऋण

79. किसानों को समय पर सस्ते ऋण की आवश्यकता होती है। मैं 2012-13 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर ₹5,75,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह वर्तमान वर्ष के लक्ष्य की तुलना में ₹1,00,000 करोड़ अधिक है।

80. किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण प्रदान करने हेतु ब्याज सहायता योजना 2012-13 में जारी रहेगी। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, परक्राम्य भाण्डागार रसीद प्रस्तुत करने पर 6 माह तक फसल-पश्च ऋणों पर भी समान ब्याज सहायता उपलब्ध होगी। इससे किसानों को अपनी उपज भाण्डागारों में रखने हेतु बढ़ावा मिलेगा।

81. छोटे और सीमान्त किसानों को अल्पावधि फसल ऋणों के संवितरण हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्षमता बढ़ाने के लिए एक अल्पावधि आरआरबी ऋण पुनर्वित्त निधि की स्थापना की जा रही है। मैं, इस निधि के जरिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वित्तपोषण हेतु नाबार्ड को ₹10,000 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

82. किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) एक प्रभावी लिखत है। केसीसी एक स्मार्ट कार्ड बने उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधित की जाएगी जिससे कि इसका उपयोग एटीएम पर किया जा सके।

कृषि अनुसंधान

83. आने वाले दशकों में खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास, उत्पादकता बढ़ाने में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय खोजों पर निर्भर करेगा। हमें पौध और बीज की ऐसी किस्मों का विकास करना होगा जिनसे उपज अधिक हो और इनमें जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध क्षमता हो। मैं, ऐसी वैज्ञानिक खोजों के लिए संस्था और अनुसंधान दल दोनों के लिए पुरस्कारों के रूप में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए ₹200 करोड़ की राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सिंचाई

84. जब तक हम जल को एक संसाधन के रूप में नहीं मानते, तो वह दिन दूर नहीं जब जल की कमी से हमारे कृषि उत्पादन को खतरा महसूस होने लगेगा। वर्षा जल संचय योजना का सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए इन योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाना आवश्यक है। सिंचाई परियोजनाओं में निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी) में ढाँचात्मक परिवर्तन किए जा रहे हैं। एआईबीपी हेतु आबंटन 2012-13 में 13 प्रतिशत बढ़ाकर ₹14,242 करोड़ किया जा रहा है।

85. सिंचाई परियोजनाओं के निधिपोषण हेतु प्रचुर संसाधन जुटाने के लिए, सरकारी स्वामित्व वाली सिंचाई और जल संसाधन वित्त कंपनी क्रियाशील की जा रही है। यह कंपनी सूक्ष्म-सिंचाई, ठेके पर खेतीबाड़ी, अपजल प्रबन्धन और स्वच्छता जैसे उप-क्षेत्रों के वित्तपोषण पर केंद्रित रहते हुए 2012-13 में अपना कार्य आरंभ कर देगी।

86. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा ₹ 439 करोड़ की लागत से मुर्शिदाबाद जिले के कंडी उप-मंडल के लिए बाढ़ प्रबंधन की एक परियोजना अनुमोदित की गई है जिसे बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत निधिपोषण किया जाना है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

87. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विगत 5 वर्ष से 8 प्रतिशत से अधिक की औसत दर से बढ़ रहा है। बेहतर आऊटरीच और स्थानीय जरूरतों के माफिक अधिक नम्यता प्रदान करने के लिए, 2012-13 में राज्य सरकारों के सहयोग से "राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" नामक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है।

88. सरकार ने देश में अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता सृजित करने के उपाय किए हैं। आधुनिक साइलो के रूप में 2 मिलियन टन भंडारण क्षमता के सृजन को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के अंतर्गत लगभग 15 मिलियन टन क्षमता सृजित की जा रही है, जिसमें से 3 मिलियन टन भंडारण क्षमता 2011-12 के अंत तक जुड़ जाएगी और 5 मिलियन टन अगले वर्ष जोड़ी जाएगी।

V. समावेशन

मैं अब समावेशी विकास संबंधी प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहूँगा।

अनुसूचित जाति और जनजातीय उप-आयोजनाएं

89. वर्ष 2011-12 से, आयोजना आबंटनों के भाग के रूप में अनुसूचित जाति उप आयोजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप आयोजनाओं (टीएसपी) हेतु अलग-अलग लघु शीर्षों के अंतर्गत आबंटन किए जा रहे हैं। वर्ष 2012-13 में, एससीएसपी के लिए किया गया आबंटन ₹ 37,113 करोड़ है जो 2011-12 की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2012-13 में टीएसपी हेतु आबंटन ₹ 21,710 करोड़ है जो 2011-12 से 17.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

खाद्य सुरक्षा

90. हमारी सरकार ने सभी लक्षित लोगों, विशेषकर गरीब और दुर्बल वर्गों के लिए खाद्य को एक कानूनी हक बनाते हुए परिवार स्तर पर खाद्य सुरक्षा सृजित करने के निश्चित उपाय किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 संसदीय स्थायी समिति के समक्ष है।

91. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के उद्देश्य प्रभावी रूप से प्राप्त किए जा सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए, आधार मंच का प्रयोग करते हुए, एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता केन्द्र सृजित किया जा रहा है। यह दिसंबर 2012 तक लागू हो जाएगा।

बहु-क्षेत्रीय पोषण संवर्धन कार्यक्रम

92. भारत की पोषाहार चुनौतियों के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, चुनिंदा 200 उच्च समस्याग्रस्त जिलों में मातृत्व और बाल कुपोषण से निदान हेतु एक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम 2012-13 के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा। यह पोषाहार, स्वच्छता, पेयजल, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, महिला शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण योजनाओं में सहयोग करेगा।

93. इस संदर्भ में, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना को सुदृढ़ और नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इसके लिए, वर्ष 2011-12 में ₹ 10,000 करोड़ की तुलना में, 2012-13 के लिए ₹ 15,850 करोड़ का आबंटन किया गया है। यह वृद्धि 58 प्रतिशत से अधिक बैठती है।

94. विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम ने विद्यालयों में नाम लिखाने, पढ़ाई जारी रखने व उपस्थिति को बढ़ाया है और बच्चों में पोषण स्तरों को सुधारने में भी सहायता की है। मैं, 2011-12 में ₹ 10,380 करोड़ की तुलना में 2012-13 में इस स्कीम के लिए ₹ 11,937 करोड़ के आबंटन का प्रस्ताव करता हूं।

95. 11 से 18 वर्ष के आयु समूह की किशोरियों के विकास के लिए पोषण संबंधी जरूरतों के समाधान और शैक्षिक व कौशल विकास कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए, राजीव गांधी किशोरार सशक्तीकरण स्कीम 'सबला' पिछले वर्ष शुरू की गई है। 2012-13 में, इस स्कीम के लिए ₹ 750 करोड़ का आबंटन किया गया है।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज

96. पानी की गुणवत्ता के साथ-साथ अपर्याप्त स्वच्छता कुपोषण के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि मैं, ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता हेतु बजटीय आबंटन 2011-12 में ₹ 11,000 करोड़ से बढ़ाकर 2012-13 में ₹ 14,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूं। यह 27 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

97. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक सफल कार्यक्रम रहा है। मैं 2012-13 में, ₹ 24,000 करोड़ उपलब्ध कराते हुए इस योजना के आबंटन को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। इससे राज्यों में कनेक्टिविटी कार्य में तीव्रता आएगी।

98. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से देश भर में पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए एक बडे कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। यह कार्यक्रम पंचायत क्षमता निर्माण हेतु विद्यमान योजनाओं का विस्तार करेगा।

99. अपने पिछले वर्ष के बजट भाषण में, मैंने पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करने का उल्लेख किया था। हमने 2011-12 के बजट अनुमान में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि करके 2012-13 में ₹ 12,040 करोड़ के वर्धित आबंटन से बारहवीं योजना में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इसमें राज्य घटक शामिल है जो, चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों में विकास की गति को त्रीव करने के लिए, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कालाहांडी-बोलागीर-कोरापुट क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा प्रभाव कम करने की विकास परियोजनाएं और एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को कवर करेगी।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

100. मैं, इस वर्ष, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत आबंटन को बढ़ाकर ₹ 20,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त, देश में भांडागारण की कमी को ध्यान में रखते हुए, मैं ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत विशेष तौर पर भांडागारण सुविधाएं सृजित करने के लिए उपर्युक्त आबंटन में से ₹ 5,000 करोड़ की राशि अलग से निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

शिक्षा

101. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। मैंने शिक्षा का अधिकार - सर्व शिक्षा अभियान के लिए ₹ 25,555 करोड़ उपलब्ध कराए हैं। यह 2011-12 की तुलना में 21.7 प्रतिशत अधिक है।

102. बारहवीं योजना में, उत्कृष्टता प्रतीक के तौर पर मैंने मॉडल स्कूलों के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। इनमें से, 2500 स्कूलों की स्थापना सरकारी-निजी भागीदारी के अंतर्गत की जाएगी।

103. गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए, मार्च, 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। मैने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 2012-13 में ₹ 3,124 करोड़ आबंटित किए हैं जो 2011-12 में किए गए आबंटन से लगभग 29 प्रतिशत अधिक है।

104. बैंकों द्वारा एक शिक्षा ऋणों योजना क्रियान्वित की जा रही है। सुपात्र विद्यार्थियों को ऋण निर्बाध रूप से मिलना सुनिश्चित करने के लिए, मैं इस प्रयोजनार्थ एक ऋण गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

स्वास्थ्य

105. कहते हैं कि अनवरत प्रयासों का फल अवश्य मिलता है। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि पिछले एक वर्ष में पोलियो के एक भी नए मामले की सूचना नहीं थी। विद्यमान यूनिटों को आधुनिकीकृत बनाकर और चेन्नई के पास एक नई एकीकृत टीका यूनिट की स्थापना करके, सरकार टीका सुरक्षा प्राप्त करेगी और रोग उन्मूलन एवं निवारण पर अनवरत दबाव बनाएगी।

106. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) 'अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता -'आशा' के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। आयोडीन कमी संबंधी गड़बड़ियों से बचाव, 100 प्रतिशत प्रतिरक्षण और बच्चों के जन्म के बीच बेहतर अंतराल सुनिश्चित करने जैसे दायित्वों को शामिल करते हुए आशा-कार्यकलापों का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। समुदाय स्तर पर, ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति के साथ ही कुपोषण संबंधी कार्यक्रम की सहायता करने के लिए संयोजक के रूप में 'आशा' के लिए अधिक सक्रिय भूमिका की परिकल्पना की गई है। चूंकि 'आशा' को कार्यक्रम-वार, निष्पादन आधारित भुगतान मिलते हैं, इससे उनका मेहनताना भी बढ़ जाएगा। मैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 2011-12 में किए गए ₹ 18,115 करोड़ के आबंटन को बढ़ाकर 2012-13 में ₹ 20,822 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूं।

107. शहरी क्षेत्रों में लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लक्ष्य एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना और विद्यमान सरकारी मेडिकल कालेजों के उन्नयन करना है। इस योजना का विस्तार किया जा रहा है ताकि 7 और सरकारी मेडिकल कालेजों के उन्नयन को इसमें कवर किया जा सके। यह, किफायती तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल स्कीम की सुलभता को बढ़ाएगा।

रोजगार और कौशल विकास

108. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का आजीविका सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पहली बार, ग्रामीण श्रमिकों के लिए प्रभावशाली न्यूनतम मजूदरी की कोई दर बनी है। दुःखद प्रवासन अब कम हुआ है। सामुदायिक आस्तियां सृजित की गई है। बंजर और परती भूमि की उत्पादकता बढ़ी है। आस्तियां की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत और मनरेगा के बीच व्यापक सहयोग-समन्वय कायम करते हुए कृषि व संबद्ध ग्रामीण आजीविकाओं पर जोर दिया जा रहा है।

109. स्व-रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए, स्वर्णजयंती ग्राम रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में नए सिरे से तैयार किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत, एक उप-घटक, महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना महिला किसानों को बेहतर ढंग से लक्षित करते हुए, उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। मैं, इस मिशन के लिए आबंटन 2011-12 में किए गए ₹ 2,914 करोड़ से 34 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 2012-13 में ₹ 3,915 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूं।

110. पिछले वर्ष के बजट में, मैंने "महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि" के सृजन की घोषणा की थी। इसे नाबार्ड में स्थापित कर दिया गया है। 2012-13 में ₹ 200 करोड़ उपलब्ध कराते हुए, मैं इस निधि को बढ़ाकर ₹ 300 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूं। यह निधि आजीविका अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्यों को भी सहायता देगी। यह, महिला स्व-सहायता समूहों की बैंक ऋणों तक पहुंच को बढ़ाते हुए उनका सशक्तीकरण करेगी। मैं, महिला स्व-सहायता समूहों को 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर ₹ 3 लाख तक के ऋण के लिए ब्याज पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। वे महिला स्व-सहायता समूह, जो समय पर ऋण की अदायगी करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 3 प्रतिशत आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे प्रभावी दर घटकर 4 प्रतिशत रह जाएगी। यह कार्यक्रम, पहले चरण में वामपंथी अतिवाद ग्रस्त जिलों सहित 150 जिलों के चुनिंदा 600 ब्लाकों पर ध्यान देगा।

111. यह प्रस्ताव है कि आजीविका के माध्यम से लिवलीहुडस फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाए। यह फाउंडेशन, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में लगभग 170 जिलों को कवर करते हुए सिविल सोसाइटी के कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों में सहायता करेगा और उनका विस्तार करेगा। निजी न्यासों और परोपकारी संगठनों को स्वायत्त निकाय के साथ भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि ऐसे विकास की व्यवस्था व्यवसायिक रूप से की जा सके।

112. सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक ऋण संबद्ध एक सब्सिडी कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से क्रियान्वित जा रहा है। इस कार्यक्रम हेतु आबंटन 2011-12 में किए गए ₹ 1,037 करोड़ से 23 प्रतिशत बढ़ाकर 2012-13 में, ₹ 1,276 करोड़ किया गया है।

कौशल विकास

113. वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने 26 नई परियोजनाओं को अनुमोदित किया, इस प्रकार 2009 से मंजूर की गई योजनाओं की संख्या दोगुनी होकर 52 हो गयी। इनकी कुल वित्तपोषण वचनबद्धता ₹ 1,205 करोड़ है। आशा है कि 10 वर्षों की समाप्ति पर, इन परियोजनाओं से 6.2 करोड़ व्यक्ति प्रशिक्षित हो जाएंगे और निजी क्षेत्र में प्रति वर्ष 1.25 करोड़ व्यक्तियों की व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षमता बढ़ेगी।

114. एनएसडीसी के भागीदारों ने 24 राज्यों के 220 जिलों में 496 स्थायी और 2429 चल केंद्र खोले हैं। 89,500 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा लगभग 80 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार मिला है। एनएसडीएफ के तहत 10 क्षेत्रीय कौशल परिषदों को मंजूरी दी गई है। इनमें से ऑटोमोबिल, सुरक्षा और खुदरा क्षेत्रों की 3 कौशल परिषदों ने कार्य शुरू कर दिया है। वर्ष 2012-13 हेतु मैं राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) को ₹ 1000 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं।

115. कौशल विकास हेतु संस्थागत ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए, मैं पृथक ऋण गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे युवाओं को बाजारोन्मुख कौशल अर्जित करने में फायदा होगा।

116. जम्मू-कश्मीर में 2011-12 से "हिमायत" नामक नई योजना की शुरूआत की गई। इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराना है। इस कार्यक्रम की पूरी लागत केंद्र द्वारा वहन की जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा तथा कमजोर तबकों की जरुरतें

117. मैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत आवंटन में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 2011-12 में ₹ 6,158 करोड़ से बढ़ाकर 2012-13 में 8,447 करोड़ रुपये कर रहा हूं। क्रियान्वित की जा रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और बीपीएल लाभार्थियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के तहत प्रति व्यक्ति मासिक पेंशन ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 300 की जा रही है।

118. बीपीएल परिवार के प्रमुख रोजी कमानेवाले 18 से 64 आयु वर्ग के सदस्य की मृत्यु होने पर राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत इस समय ₹ 10,000 की एकमुश्त अनुग्रह राशि दी जाती है। मैं यह राशि दुगुनी करके ₹ 20,000 करने का प्रस्ताव करता हूं और राज्य सरकारों द्वारा बराबरी का योगदान मुहैया कराने की आशा करता हूं।

119. पेंशन की मद में स्वैच्छिक बचतों को बढ़ावा देने के लिए सितम्बर, 2010 में 'स्वावलंबन' नामक सह-अंशदायी योजना शुरू की गई थी। फरवरी 2012 तक 5 लाख से अधिक अभिदाताओं का नामांकन किया गया है। इस योजना तक पहुंच को बढ़ाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को समूहकर्त्ता (एग्रीगेटर) के रुप में नियुक्त किया गया है तथा सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को भी पॉइन्ट ऑफ प्रेजेन्स (पीओपी) और समूहकर्त्ताओं के रूप में नियुक्त किया गया है।

संस्थान जिन्हें अनुदान दिया जा रहा है

120. अनुसंधान और नए ज्ञान का सृजन किसी आधुनिक राष्ट्र की प्रेरक शक्ति होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं निम्नलिखित प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं;

* ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद को ₹ 25 करोड़;
* कोलकाता में आर्सेनिक संदूषण पर केंद्रित करते हुए जल गुणवत्ता हेतु विश्वस्तरीय केंद्र स्थापित करने के लिए ₹ 50 करोड़;
* केरल कृषि विश्वविद्यालय की ₹ 100 करोड़,
* कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़, कर्नाटक को ₹ 50 करोड़;
* हिसार कृषि विश्वविद्यालय को ₹ 50 करोड़;
* ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ₹ 50 करोड़;
* हैदराबाद में आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय को ₹ 100 करोड़;
* राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद को ₹ 15 करोड़;
* राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभाग, ईटानगर को ₹ 10 करोड़; और
* सिध्दार्थ विहार न्यास, गुलबर्गा को पालि भाषा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए ₹ 10 करोड़।

सुरक्षा

121. वर्ष 2012-13 के बजट में रक्षा सेवाओं के लिए ₹ 1,93,407 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें पूंजी व्यय के लिए ₹ 79,579 करोड़ शामिल हैं। हमेशा की तरह, यह आवंटन वर्तमान जरुरतों पर आधारित है और भविष्य में किसी भी जरुरत को पूरा किया जाएगा।

122. सरकार सैन्य बलों के आवासीय क्वार्टरों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। 2012-13 में, केंन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए लगभग 4,000 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण परिकल्पित है जिसके लिए ₹ 1,185 करोड़ आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है। 2012-13 के लिए कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए भी ₹ 3,280 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें भूमि अधिग्रहण और 27,000 कार्मिकों को रहने के लिए बैरक शामिल हैं।

123. राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) तैयार करने की योजना अच्छी प्रगति पर है। इसके अगले दो वर्षों में पूरी होने की संभावना है। सरकार 18 वर्ष या अधिक आयु वाले सभी निवासियों को आधार नंबर के साथ निवासी पहचान पत्र जारी करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है जिससे ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों में मदद मिल सके।

VI. अभिशासन

मैं अब अभिशासन में आ रही कुछ चिन्ताओं के समाधान के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा।

युआईडी-आधार

124. आधार प्रणाली में नामांकनों की संख्या 20 करोड़ को पार कर गई है और अब तक 14 करोड़ से अधिक आधार नम्बर सृजित किए जा चुके हैं। मैं पर्याप्त निधियां आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि 1 अप्रैल, 2012 से शुरु होने वाले अन्य 40 करोड़ नामांकन पूरे किए जा सकें। आधार प्लेटफार्म अब एमजी-नरेगा; वृद्धावस्था, विधवा और निःशक्तता पेंशन तथा छात्रवृत्तियों के भुगतान सम्बन्धित क्षेत्रों में सीधे ही लाभार्थी के खातों में जमा कराने में सहायता देने हेतु तैयार है।

काला धन

125. पिछले वर्ष मैंने काले धन के सृजन और उसके चलन की बुराई तथा भारत से बाहर इसके गैर कानूनी अंतरण की समस्या का सामना करने के लिए एक पंच आयामी कार्यनीति को रेखांकित किया था। सरकार ने इस कार्यनीति को अमल में लाने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। इसके फलस्वरूपः

* 82 दोहरे कराधान परिहार करार (डीटीएए) और 17 कर सूचना आदान-प्रदान करारों (टीआईई) को अंतिम रूप दिया गया है और भारतीयों द्वारा विदेशों में धारित बैंक खातों और परिसंपतियों के संबंध में सूचना प्राप्त होना शुरु हो चुकी है। कुछ मामलों में अभियोजन शुरु किया जाएगा।

* संधि किए गए देशों के साथ कर सूचना के शीघ्र आदान-प्रदान हेतु समर्पित सूचना आदान-प्रदान प्रकोष्ठ सीबीडीटी में कार्य कर रहा है;

* भारत कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता संबंधी बहुपक्षीय सम्मेलन का 33 वां हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया है, और

* सीबीडीटी में आयकर आपराधिक अन्वेषण निदेशालय की स्थापना की गई है।

126. मैं संसद के वर्तमान सत्र में काले धन पर सदन में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूं।

सरकारी अधिप्राप्ति कानून

127. सरकार एक सरकारी अधिप्राप्ति कानून को अधिनियमित करने के प्रति बचनबद्ध है ताकि सरकारी खरीद में विश्वास बढ़ाया जा सके और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यदक्षता सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में संसद के बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा।

128. भ्रष्टाचार-रोधी ढांचा मजबूत करने के लिए निम्नलिखित विधायी उपाय अधिनियमन के विभिन्न चरणों में हैं:

* धन शोधन रोकथाम (संशोधन) विधेयक 2011 संसद में प्रस्तुत किया गया है ताकि इस अधिनियम के कतिपय उपबंध वैश्विक मानकों के अनुरूप हों;

* बेनामी लेन-देन (निषेध) विधेयक, 2011 की वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा जांच की जा रही है। यह 'बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988' का स्थान लेगा; और

* राष्ट्रीय स्वापक और मनोसुख सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2011 संसद में प्रस्तुत किया गया है ताकि स्वापक दवा तथा मनोसुख की सामग्री संबंधी राष्ट्रीय नीति को अमल में लाने के कानूनी उपबधों को मजबूती प्रदान की जा सके।

VII. बजट अनुमान 2012-13

मैं अब 2012-13 के बजट अनुमानों पर आता हूं।

129. सकल कर प्राप्तियां ₹ 10,77,612 करोड़ होने का अनुमान है जो 2011-12 के बजट अनुमानों की तुलना में 15.6 प्रतिशत और संशोधित अनुमानों की तुलना में 19.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती हैं। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, सकल कर ब.अ. 2011-12 में 10.4 प्रतिशत के मुकाबले ब.अ. 2012-13 में 10.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राज्यों को अंतरण के पश्चात् 2012-13 में केंद्र के निवल कर ₹ 7,71,071 करोड़ रहने का अनुमान है। वर्ष 2012-13 में कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां ₹ 1,64,614 करोड़ और ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां ₹ 41,650 करोड़ हो जाने का अनुमान है। सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों में पूंजी व्यय के लिए विनिवेश प्राप्तियों के इस्तेमाल की अस्थायी व्यवस्था और एक वर्ष बढ़ाकर 2012-13 तक कर दी गई है।

130. वर्ष 2012-13 हेतु कुल व्यय के लिए ₹ 14,90,925 करोड़ की बजटीय व्यवस्था है। इसमें से 2012-13 के लिए आयोजना व्यय ₹ 5,21,025 करोड़ है जो 2011-12 के बजट

अनुमानों से 18 प्रतिशत अधिक है। यह 2012-13 की बारहवीं योजना के दृष्टिकोण में अनुमानित 15 प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। मैं सम्माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्न हूं कि ग्यारहवीं योजना में, हम कुल आयोजना परिव्यय का 99 प्रतिशत पूरा करने में सफल रहे हैं।

131. वर्ष 2012-13 के आयोजना-भिन्न व्यय के लिए ₹ 9,69,900 करोड़ की बजटीय व्यवस्था है जो 2011-12 के संशोधित अनुमानों से 8.7 प्रतिशत अधिक है और यह 2011-12 के बजट अनुमानों से अपेक्षाकृत 18.8 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः प्रमुख सब्सिडियों के लिए अधिक प्रावधान किए जाने के कारण है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वांछित सब्सिडियों के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त प्रावधान करते समय मैं संशोधित लक्ष्यों सहित किए जाने वाले उपायों के जरिए बढ़ते सब्सिडी के बोझ को हल्का करने के प्रति कृतसंकल्प हूं।

132. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित आयोजना और आयोजना-भिन्न संसाधन, जिनमें राज्य और जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों को किए जाने वाले प्रत्यक्ष अंतरण शामिल हैं, बजट अनुमान 2012-13 में 3,65,216 करोड़ रुपये हैं। इनमें 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को दिए जाने वाला ₹ 18,655 करोड़ का अनुदान शामिल है।

133. वर्ष 2011-12 राजकोषीय समेकन की कई चुनौतियों में से एक था। अपेक्षाकृत धीमे आर्थिक विकास के कारण प्रत्यक्ष कर संग्रहण बजट अनुमानों से ₹ 32,000 करोड़ कम रहा। इसी के साथ, सरकार ने ₹ 49,000 करोड़ की वार्षिक राजस्व हानि के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र में की गई शुल्क कटौती अवशोषित की है। सरकार को पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी पर भारी व्यय करना पड़ा था ताकि जनता को बढ़ती कीमतों से राहत प्रदान की जा सके। हालांकि सब्सिडियों पर व्यय बढ़ गया है, इसलिए मैंने यह सुनिश्चित किया है कि सब्सिडियों के स्थान पर बांड दिए जाने के बजाय पूरी राशि नकद में दी जाए। यह मेरे 2010-11 के बजट भाषण में रेखांकित किए गए दृष्टिकोण की तर्ज पर है।

134. अपेक्षाकृत कम कर और विनिवेश प्राप्तियों तथा मुख्यतः सब्सिडियों के कारण अधिक व्यय से राजकोषीय घाटा 2011-12 के संशोधित अनुमान में बढ़कर स.घ.उ. का 5.9 प्रतिशत हो गया। तथापि, मैंने राजकोषीय घाटे को ₹ 5,13,590 करोड़ पर रोक कर जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत है, 2012-13 के बजट में राजकोषीय समेकन के पथ पर फिर से वापस आने का दृढ़ प्रयास किया है। वित्तपोषण की अन्य मदों को ध्यान में रखने के पश्चात्, दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल बाजार उधारों से इस घाटे का वित्तपोषण ₹ 4.79 लाख करोड़ है। इससे 2012-13 के अन्त में कुल ऋण स्टॉक 13वें वित्त आयोग के स.घ.उ के 50.5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में स.घ.उ. का 45.5 प्रतिशत बैठता है। ब.अ. 2012-13 में प्रभावी राजस्व घाटा ₹ 1,85,752 करोड़ बैठता है, जो स.घ.उ. का 1.8 प्रतिशत है।

भाग ख

VIII कर प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदया,

मैं अब अपने प्रस्तावों के भाग ख पर आता हूं।

135. वित्त मंत्री का जीवन आसान नहीं है। नीति-निर्माताओं, किसानों, राजनीतिज्ञों और व्यापारिक घरानों सहित कई खिलाड़ी अर्थव्यवस्था के निर्माण में अपना योगदान करते हैं। जब अर्थव्यवस्था के साथ सब कुछ ठीक चलता है, हम सब खुश रहते हैं। लेकिन जब कोई गड़बड़ी होती है तो वित्त मंत्री ही वह शख्स होता है जिसे गड़बड़ी सुधारने के लिए कहा जाता है। चिकित्सीय निदान की तरह, अर्थव्यवस्था हमसे ऐसा कुछ करने की अपेक्षा करती है जो अल्पकालिक रूप से कष्टदायी हो सकता है लेकिन दीर्घावधिक रूप से वह हमारे भले के लिए ही होता है। जैसाकि हैमलेट, डेनमार्क के प्रिंस ने शेक्सपियर के अमर शब्दों में कहा था "दयावान बनने के लिए मुझे क्रूर बनना ही होगा।"

यह याद दिलाने के साथ, अब मैं कर प्रस्तावों पर आता हूं।

136. पिछले वर्ष मैंने प्रत्यक्ष करों में प्रत्यक्ष कर संहिता और अप्रत्यक्ष करों में वस्तु एवं सेवा कर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया था। वित्त वर्ष 2012-13 के मेरे कर-प्रस्ताव इस दिशा में हुई और प्रगति को परिलक्षित करते हैं।

प्रत्यक्ष कर

अब मैं प्रत्यक्ष करों पर आता हूं।

137. पिछले वर्ष डीटीसी दरों की तरफ बढ़ते हुए छूट सीमा बढ़ाकर मैंने वैयक्तिक करदाताओं को राहत दी थी। हालांकि डीटीसी इस वर्ष से लागू नहीं होगी, मैं आयकर के लिए डीटीसी दरों का प्रस्ताव करता हूं। मैं वैयक्तिक करदाताओं की सामान्य श्रेणी के लिए छूट सीमा को ₹1,80,000 से बढ़ाकर ₹2,00,000 करने का प्रस्ताव करता हूं। इस उपाय से इस श्रेणी के प्रत्येक करदाता को ₹2,000 तक की राहत मिलेगी। मैं 20 प्रतिशत की उपरि सीमा को भी ₹8 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने का प्रस्ताव करता हूं। वैयक्तिक आयकर के प्रस्तावित स्लैब इस प्रकार हैं :

₹2 लाख तक आय	–	शून्य
₹2 लाख से ऊपर और ₹5 लाख तक आय	–	10 प्रतिशत
₹5 लाख से ऊपर और ₹10 लाख तक आय	–	20 प्रतिशत
₹10 लाख से अधिक आय	–	30 प्रतिशत

इन परिवर्तनों से करदाताओं को काफी राहत मिलेगी।

138. मैं वैयक्तिक करदाताओं को बचत बैंक खाते से मिलने वाले ब्याज के रूप में ₹10,000 तक की कटौती की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं। इससे ₹5 लाख तक की वेतन आय तथा बचत बैंक खातों से ₹10,000 तक ब्याज वाले छोटे करदाताओं की बड़ी संख्या को सुविधा होगी, क्योंकि उन्हें आयकर विवरणी भरना जरुरी नहीं होगा।

139. चिकित्सा बीमा के लिए अनुमत्त मौजूदा कटौती सीमा के भीतर, मैं निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹5,000 तक की कटौती की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

140. वरिष्ठ नागरिक, जिन्हें कारोबार से कोई आय नहीं है, को अग्रिम कर के भुगतान से छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। इससे उनका कर-अनुपालन बोझ भी कम होगा।

141. कारपोरेटों की स्थिति में, मैं कर दरों में किसी बदलाव का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं। तथापि, अपेक्षाकृत कम लागत वाली निधियों तक कारपोरेटों की पहुंच को सुगम बनाने और कई क्षेत्रों में निवेश को उच्च स्तर पर प्रोत्साहित करने की अनुमति देने के लिए, मैं कई उपायों का प्रस्ताव करता हूं।

142. दबाव वाले कुछ अवसंरचना क्षेत्रों में निम्न लागत वाली निधियां प्रदान करने के लिए, विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर ब्याज दरों पर कर रोकने की दर को तीन वर्षों के लिए 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। ये क्षेत्र हैं :

- विद्युत;
- एयरलाइन;
- सड़क तथा पुल;
- पत्तन एवं पोत कारखाने;
- किफायती आवास;
- उर्वरक; और
- बांध

143. सिर्फ नौ विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ही निवेश करने के लिए उद्यम हेतु पूंजी निधियों पर लगा प्रतिबंध हटाए जाने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि किसी बहुस्तरीय कारपोरेट संरचना में लाभांश वितरण कर (डीडीटी) पर क्रमप्रपाती प्रभाव को हटा लिया जाए। मैं भारतीय कंपनियों की विदेशी अनुषंगी कंपनियों के लाभांशों को एक और वर्ष के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2013 तक 30 प्रतिशत की तुलना में 15 प्रतिशत की घटी हुई दर पर भारत में प्रत्यावर्तित करने की अनुमति को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं।

144. नीचे लिखे कारोबारों में हुए आवर्ती पूंजी व्यय के निवेश से जुड़ी कटौती को, 100 प्रतिशत की मौजूदा दर के मुकाबले, मैं 150 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर मुहैया कराने का प्रस्ताव करता हूं।

- कोल्ड चेन (शीतागार) सुविधा
- खाद्यान्नों के भंडारण हेतु भाण्डागार

- अस्पताल
- उर्वरक
- किफायती आवास

145. निवेश से जुड़ी कटौती के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नए क्षेत्रों को भी जोड़ने का प्रस्ताव है :

- मधुमक्खी पालन तथा शहद और मोम उत्पादन
- कन्टेनर भाड़ा स्टेशन तथा अंतरदेशीय कन्टेनर डिपो
- चीनी भण्डारण के लिए भाण्डागार

146. अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, यह प्रस्ताव है कि इन-हाउस सुविधाओं में अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले व्यय के लिए 200 प्रतिशत की भारित कटौती को 31 मार्च, 2012 के बाद से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए।

147. कृषि क्षेत्र में विकास को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से, मैं कृषि-विस्तार सेवाओं के लिए किए जा रहे व्यय पर 150 प्रतिशत की भारित कटौती मुहैया कराने का प्रस्ताव करता हूं।

148. विद्युत क्षेत्र के लिए, जैसा कि ऊपर रेखांकित किया गया है, निम्न लागत वाली निधियों तक पहुंच के अलावा, मैं, विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक वर्ष तक अंतिम (सनसेट) तारीख के विस्तार का प्रस्ताव करता हूं, जिससे कि 10 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत कटौती के दावे प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च, 2013 को या इसके पहले वे विद्युत उपक्रमों की स्थापना कर सकें। आरम्भिक वर्ष में 20 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यह्रास को विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा अर्जित नव परिसम्पत्तियों के लिए भी विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है।

149. लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए लेखाओं की अनिवार्य कर लेखा-परीक्षा तथा उनके अनुमानित कराधान के लिए टर्न-ओवर की सीमा को ₹60 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

150. लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए निधियां बढ़ाने हेतु, मैं, आवासीय सम्पत्ति की बिक्री पर पूंजी अभिलाभ-कर को छूट देने का प्रस्ताव करता हूं, यदि इस बिक्री से प्राप्त धन किसी नए संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए किसी विनिर्माणकर्ता लघु एवं मध्यम कंपनी द्वारा इक्विटी की खरीद में प्रयुक्त हुआ है।

151. विनिर्माण क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की कमी को देखते हुए और रोजगार सृजन हेतु, मैं विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कौशल विकास पर हुए व्यय के 150 प्रतिशत की दर से भारित कटौती करने का प्रस्ताव करता हूं।

152. पूंजी बाजारों में लेन-देन लागतों को कम करने के उद्देश्य से, मैं नकद सुपुर्दगी लेन-देनों पर प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) में 20 प्रतिशत (0.125 प्रतिशत से 0.1 प्रतिशत) की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

153. लाभ संबद्ध कटौतियों पर व्यय को कम करने के लिए, मैं कंपनियों के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों, जो लाभ संबद्ध कटौतियों का दावा करते हैं, पर अनुकल्पी न्यूनतम कर (एएमटी) लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

154. मैं आक्रामक कर परिवर्जन योजनाओं के विरुद्ध एक सामान्य परिवर्जन रोधी नियम (जीएएआर) आरम्भ करने का प्रस्ताव करता हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका उपयोग समुचित मामलों में ही जीएएआर पैनल द्वारा समीक्षा करके किया जाता है।

155. बेहिसाबी धन के सृजन और उपयोग को रोकने के अनेक उपाय करने का मेरा विचार है। इसके लिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

- विदेश में धारित आस्तियों के मामले में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता लागू करना।
- विदेश में धारित आस्तियों के मद्दे मूल्यांकन के संबंध में आकलन को 16 वर्ष तक पुनः खोलने की अनुमति प्रदान करना।
- ₹2 लाख से अधिक राशि की बुलियन अथवा आभूषण की नकद खरीद पर स्रोत पर कर संग्रहण।
- विनिर्दिष्ट प्रारंभिक सीमा से ऊपर की स्थावर सम्पत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अंतरण पर स्रोत पर कर कटौती।
- कोयला, लिग्नाइट और लौह अयस्क में व्यापार पर स्रोत पर कर संग्रहण।
- शेयरधारकों से प्राप्त निधियों के लिए एकाधिकार वाली कम्पनियों पर प्रमाण का दायित्व बढ़ाना तथा उचित बाजार मूल्य से अधिक के शेयर प्रीमियमों पर कर लगाना।
- आय की स्लैब पर ध्यान दिए बिना, अस्पष्टीकृत धन, ऋणों, निवेशों, व्यय आदि पर 30 प्रतिशत की उच्चतम दर पर कराधान।

156. प्रत्यक्ष कर संबंधी मेरे प्रस्तावों से इस वर्ष ₹4500 करोड़ की निवल राजस्व हानि होने का अनुमान है।

अप्रत्यक्ष कर

157. अब मैं अप्रत्यक्ष करों पर आता हूं। विगत वर्षों से जरा हटकर, मैं सेवा कर से आरम्भ करता हूं।

सेवा कर

158. इस वर्ष जून की समाप्ति पर, इस कर के 18 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अतः गति बढ़ाने का समय आ गया है। तथापि, सेवा कर के सामने दो महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी हैं। वे हैं :

- करों में सेवाओं का हिस्सा अपनी क्षमता से काफी कम है। कर आधार को व्यापक और इसके प्रवर्तन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है; और

- सेवा कर विधि जटिल है और कभी-कभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से परिहार्य रूप से भिन्न है। हमें इन दोनों को वस्तु एवं सेवा कर में परिवर्तन के अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यथासंभव मिला देना है।

मैंने इस वर्ष इन दोनों मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया है।

159. विगत वर्ष, मैंने नकारात्मक सूची के आधार पर सेवाओं के कराधान के संबंध में आगे बढ़ने की वांछनीयता पर एक सार्वजनिक बहस की पहल की थी। अधिकांशतः तथा पूरे वर्ष जारी रही इस बहस में, हमें इस नई अवधारणा के लिए प्रबल समर्थन मिला। इसे सुदृढ़ अर्थशास्त्र और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के रूप में देखा गया है।

160. इस प्रकार, मैं, नकारात्मक सूची के वर्णित सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इस सूची में 17 शीर्ष हैं और ये, हमारी शासन व्यवस्था के संघीय स्वरूप, सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों तथा हमारी सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए, ध्यानपूर्वक तैयार किए गए हैं।

161. नकारात्मक सूची में कतिपय विशिष्ट सेवाएं, जिन्हें निजी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता करनी होती है, के सिवाए आना या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध सभी सेवाएं शामिल होती हैं। इस सूची में प्रि-स्कूल और स्कूली शिक्षा, उच्च स्तरों पर मान्यताप्राप्त शिक्षा और अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा, रिहाइशी मकानों को किराए पर देना, मनोरंजन एवं आमोद सेवाएं और अंतर्देशीय जलमार्गों, शहरी रेलवे और मीटर से चलने वाली गाड़ियों सहित सार्वजनिक परिवहन का एक बड़ा भाग भी शामिल हैं।

162. कृषि और पशुपालन का हमारे जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। व्यावहारिक रूप से, कृषि, प्रजनन, उत्पादन, प्रसंस्करण अथवा विपणन प्राथमिक बाजारों में बेचे जाने वाले उत्पाद की अवस्था तक के लिए अपेक्षित सभी सेवाएं इस सूची के अंतर्गत आती हैं।

163. नकारात्मक सूची के अलावा, छूटों की भी एक सूची है जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाएं, धार्मिक व्यक्ति, खिलाड़ी, लोक अथवा शास्त्रीय कला के कलाकार, गैर-कारोबारी कम्पनियों को सेवा दे रहे व्यष्टि अधिवक्ता, स्वतंत्र पत्रकार, पशु देखभाल अथवा कार पार्किंग की सेवाएं शामिल हैं।

164. वित्तीय सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से, मैंने व्यवसाय सुविधा प्रदाताओं और बैंकों एवं बीमा कम्पनियों के संपर्क व्यक्तियों की सेवाओं को भी छूट प्रदान की है।

165. विनिर्दिष्ट अवसंरचना, नहरों, सिंचाई कार्यों, फसल-पश्चात अवसंरचना, रिहाइशी मकान और किफायती आवास योजना के तहत निम्न लागत वाले 60 वर्गमीटर के क्षेत्रफल तक के मकानों को भी छूटों में शामिल किया गया है। ऐसे व्यक्तियों जो पहले से ही किसी अपार्टमेंट के स्वामी हैं, के जीवन को थोड़ा सहज बनाने के उद्देश्य से, मैं किसी हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य द्वारा को देय मासिक प्रभारों के लिए छूट को ₹3,000 से बढ़ाकर ₹5,000 करने का प्रस्ताव करता हूं।

166. वर्ष 2012 की शुरुआत भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष से हुई। दादा साहब फाल्के के "राजा हरिश्चन्द्र" से हाल में "रा वन" नामक शीर्षकों में परिवर्तन के बावजूद फिल्म उद्योग ने देश की अनेक विविधताओं के होते हुए भी देश को एक सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी समारोह मनाने की भावना को प्रेरित करते हुए, मैं उद्योग को सिनेमैटोग्राफिक रिकार्ड करने संबंधी कापीराइट पर सेवा कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

167. नकारात्मक सूची की दिशा की तरफ बढ़ने के फलस्वरुप, अधिनियम में लगभग 290 परिभाषाओं तथा विवरणों में से 54 रह जाएंगी तथा मौजूदा 88 से घटकर 10 रह जाने से छूट प्रदान करने से वास्तव में कुछ मौजूदा छूटों को संशोधित अधिसूचना में शामिल किया जाएगा। पृष्ठों की संख्या के सन्दर्भ में, यह कानून लगभग 40 प्रतिशत तक छोटा हो जाएगा।

168. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के बीच सामंजस्य बैठाने के उपाय के रूप में, कई समन्वित प्रयास किए गए हैं। इनमें एक सामान्य सरलीकृत पंजीकरण प्रपत्र तथा केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर के लिए सामान्य विवरणी, जिसे ईएसटी-1 नाम दिया जाएगा, शामिल हैं। यह सामान्य विवरणी केवल एक पृष्ठ की होगी। इससे, इस समय दो विवरणियों के 15 पृष्ठों में काफी कमी होगी।

169. सेवा कर में, संशोधन प्रार्थना-पत्र प्राधिकरण तथा निपटान आयोग की शुरुआत की जा रही है जिससे ज्यादा आसानी से विवादों के निपटान में सहायता मिलेगी।

170. कैटरिंग, रेस्तरां, होटल सुविधा, पंडाल एवं शामियाना और परिवहन क्षेत्रों जैसी कई सेवाओं की संख्या में निविष्टि कर क्रेडिट के उपयोग की अनुमति देकर, केसकेडिंग ऑफ टैक्सेज में काफी कमी लाई गयी है।

171. आपूर्ति नियमों के स्थान, जो सेवा प्रदान करने के स्थान को अवधारित करेंगे, को हिताधिकारियों (स्टेकहोल्डरों) की टिप्पणियों हेतु आम जानकारी में लाया जा रहा है और नकारात्मक सूची प्रभावी होने पर उसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। ये नियम उन सभी मुद्दों, जो वस्तु सेवा कर के अन्ततोगत्वा प्रारम्भ करने हेतु अन्तर-राज्य सेवाओं के कराधान में कदाचित उठ सकते हैं, का मूल्यांकन करने हेतु संसूचित चर्चा आरम्भ करने के लिए एक संभावित पृष्ठभूमि भी प्रदान करेंगे।

172. मैं सेवा कर और उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में सामान्य कर संहिता की सम्भावना की जांच के लिए एक अध्ययन टीम की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं जो सही समय पर यथा सम्भव इन दो विधानों को सुमेलित करने के लिए यह संहिता अपनायी जा सकती है।

173. जबकि वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा निविष्टि सेवाओं पर करों के संबंध में सामने आ रही समस्याओं को इस वर्ष के प्रारम्भ में सुलझा लिया गया था, वहीं सेवा निर्यात के सम्बन्ध में करों का संवितरण काफी समय से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। मैं अब एक ऐसी नई योजना की घोषणा करता हूं जो भारी-भरकम प्रलेखन अथवा साक्ष्यांकन का सहारा लिए बिना धन वापसी प्रक्रिया को सरलीकृत बनाएगी। वर्धित प्रोत्साहन के रूप में, ऐसी धनवापसियां उन कर योग्य सेवाओं पर करों के सम्बन्ध में भी अनुज्ञेय होंगी, जो छूट प्राप्त हैं।

174. कराधान बिन्दु से सम्बन्धित नियमों को भी और अधिक स्पष्टता प्रदान करके तथा बाधाओं को दूर कर युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। कई क्षेत्रों में सेनवेट क्रेडिटों की पुनर्बहाली की जा रही है। कारोबार को सुगम बनाने तथा भ्रष्टाचार पर रोक हेतु कई अन्य प्रस्ताव हैं। मैं उन सभी प्रस्तावों पर यहां चर्चा कर इस सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा।

175. आपको पता होगा, ये अधिकांश उपाय ऐसी व्यवस्था की तरफ मुड़ने की आवश्यकता से निर्देशित हैं जो सरल, साम्यपूर्ण तथा प्रगामी हो लेकिन इससे किसी महत्वपूर्ण तरीके से राजकोष में बढ़ोतरी करने की सम्भावना न हो। अपनी भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए तथा राजकोषीय स्थिति को अच्छी हालत में बनाए रखने के लिए, मैं, सेवा कर दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। यह सेवाओं की दरों में परिणामी परिवर्तन के साथ होगी तथा ये वैयक्तिक कर दरें होंगी।

176. सेवा कर सम्बन्धी मेरे प्रस्तावों से ₹18,660 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। सेवाओं की सकल घरेलू उत्पाद में 59 प्रतिशत की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, आप इस बात से सहमत होंगे कि यह प्रस्तावित बढ़ोत्तरी अधिक कठोर नहीं है।

मैं अब अपने अन्य अप्रत्यक्ष कर सम्बन्धी प्रस्तावों पर आता हूं।

177. वर्ष 2008-09 में वैश्विक वित्तीय संकट के परिणाम स्वरुप, में पैट्रोलियम-भिन्न वस्तुओं के लिए उत्पाद शुल्क की मानक दर को चरणबद्ध तरीके से 14 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया था। इस दर को बजट 2010-11 में 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था। राजकोषीय सुधार की अत्यावश्यकता को देखते हुए, मैं, अब मानक दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत, मैरिट दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत तथा लोअर मैरिट दर को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, कोयला, उर्वरक, मोबाइल फोन तथा मूल्यवान धात्विक आभूषण के लिए लोअर मैरिट दर को 1 प्रतिशत पर यथावत रखा गया है।

178. वर्तमान में बड़ी कारों से उनकी इंजिन क्षमता तथा लम्बाई के आधार पर उत्पाद शुल्क प्राप्त होता है। मानक दर में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए, मैं इस शुल्क को 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसी कारों जिन पर प्रति वाहन 22 प्रतिशत + ₹15000 की मिश्रित दर से शुल्क लगता है, के मामले में, मैं, इस शुल्क में बढ़ोत्तरी तथा 27 प्रतिशत की यथामूल्य दर को अपनाने का प्रस्ताव करता हूं।

179. कृषि-भिन्न वस्तुओं पर 10 प्रतिशत के सीमा शुल्क की शीर्ष दर में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। कुछ अलग-अलग मदों को छोड़कर, शीर्ष से नीचे की दरें भी यथावत रखी जा रही हैं।

180. मैं अब विशिष्ट क्षेत्रों, खासकर जो दबाव में हैं, के लिए राहत प्रस्तावों पर आता हूं। इन्हें निवेश की गति में तेजी लाने तथा विनिर्माण विकास हेतु तैयार किया गया है।

कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्र

181. पिछले बजटों में कृषि तथा कृषि प्रसंस्करण हेतु की गयी पहलकदमियों को जारी रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं किः

- निम्नलिखित पर बुनियादी सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करना :
    - गन्ना प्लांटर, मूल अथवा कन्द फसल काटने की मशीन तथा रोटरी ट्रिलर एवं वीडर;
    - इनके विनिर्माण के कल-पुर्जे;
- विनिर्दिष्ट कॉफी पौधरोपण और प्रसंस्करण मशीनरी पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।
- 5 प्रतिशत के रियायती बुनियादी सीमा शुल्क पर ग्रीन हाउस और बागवानी तथा फूलों की संरक्षित खेती-बाड़ी को परियोजना आयात लाभ देना;
- यूरिया को छोड़कर, जल में घुलनशील कुछ उर्वरकों तथा तरल उर्वरकों पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर 7.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत करना;
- मंडियों या भांडागारों में मेकेनाइज्ड हैंडलिंग सिस्टमों और पैलेट रैकिंग सिस्टमों की स्थापना के लिए उपलब्ध रियायती आयात शुल्क बागवानी उपज के लिए देना।

182. उर्वरक परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना अथवा बड़े पैमाने पर विस्तार हेतु उपस्कर के आयात पर 31 मार्च, 2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए 5 प्रतिशत के बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जा रही है।

अवसंरचना

183. अवसंरचना के क्षेत्र में, मेरे प्रस्तावों में बिजली, कोयला और रेलवे के तीन क्षेत्रों में कुछ कमजोरियों पर ध्यान दिया गया है।

184. कोयले की उच्च कीमतों के कारण ताप विद्युत के घरेलू उत्पादक दबाव में रहे हैं। मैं 31 मार्च, 2014 तक दो वर्ष की अवधि के लिए स्टीम कोयले पर बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट और 1 प्रतिशत की रियायती सीवीडी देकर इस स्थिति में सुधार लाने का प्रस्ताव करता हूं। विद्युत उत्पादन के लिए निम्नलिखित ईंधनों को भी बुनियादी शुल्क से पूरी छूट दी जा रही हैः

- प्राकृतिक गैस और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस; और
- यूरेनियम सान्द्र, प्राकृतिक और गुटिका रूप में सिंटर्ड यूरेनियम डायोक्साइड।

खनन

185. खनिजों के लिए बेहतर सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण कार्य हमारे खनन क्षेत्र की उत्पादकता और दक्षता में सुधार लाने के लिए आवश्यक हैं। मैं सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त मशीनरियों और औजारों पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत या 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त, कोयला खनन परियोजनाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी जा रही है।

रेलवे

186. अगले पांच वर्षों के दौरान, भारतीय रेलवे यात्री सुरक्षा और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए दो बड़ी परियोजनाएं चला रहा है। ये हैं – रेल सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली की स्थापना तथा हाई स्पीड ट्रेनों के लिए पटरियों के ढांचे का उन्नयन। मैं इनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपस्कर पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

सड़कें

187. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य सरकारों के ठेकेदारों द्वारा सड़क निर्माण के लिए आयातित विनिर्दिष्ट उपस्कर पर आयात शुल्क से पूर्ण छूट के लाभ का विस्तार महानगर विकास प्राधिकरणों द्वारा दी गई संविदाओं पर किया जा रहा है।

188. सुरंग खोदने की मशीनों और उनकी असेम्बली के लिए कल-पुर्जों को इस छूट का लाभ मिलता है। मैं, अंतिम प्रयोग की शर्त के बिना उनके शुल्क रहित आयात की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

नागर विमानन

189. भारत में अपने आप को असैनिक वायुयानों के तृतीय पक्ष रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार (एमआरओ) के केन्द्र के रूप में स्थापित करने की संभावना है। इस संभावना को मूर्त रूप देने के लिए, मैं इस प्रयोजन हेतु आयातित हवाई-जहाज के पुर्जों और परीक्षण उपस्करों को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। एयरलाइन इंडस्ट्री को सहायता के एक उपाय के रूप में, नए और रिट्रीडेड दोनों प्रकार के एयरक्राफ्ट टायरों को बुनियादी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं।

विनिर्माण

190. विनिर्माण क्षेत्र के लिए इस वक्त सहारे की जरूरत है। इस क्षेत्र के लिए, मेरे प्रस्तावों में कच्चा माल, निविष्टियों, संघटकों और पूंजीगत वस्तुओं की लागत कम करके राहत देने का प्रयास किया गया है।

191. निम्न कोटि के लौह अयस्क, जिसका हमारे यहां विशाल सुरक्षित भंडार है, के परिष्करण को बढ़ावा देने हेतु, मैं, लौह अयस्क गुटिका संयंत्रों या लौह अयस्क धातु परिष्करण संयंत्रों की स्थापना या बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए आयातित संयंत्र या मशीनरी पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस्पात क्षेत्र से संबंधित मेरे अन्य प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं:

- निम्नलिखित पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाना:
  - इलेक्ट्रिकल इस्पात के विनिर्माण हेतु कोटिंग सामग्री पर 7.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत;
  - निकिल अयस्क और सान्द्र तथा निकिल आक्साइड/हाइड्रोआक्साइड पर 2.5 प्रतिशत या 7.5 प्रतिशत से शून्य।
- क्रोमियम अयस्क पर निर्यात शुल्क ₹3000 प्रति टन से बढ़ाकर 30 प्रतिशत यथामूल्य करना।
- गैर-मिश्र धातु, फ्लैट-रोल्ड स्टील पर बुनियादी सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत करना।

192. हमारे वस्त्र उद्योग, विशेषकर बुनकर क्षेत्र को तत्काल आधुनिकीकृत्त किए जाने की आवश्यकता है। मैं स्वचालित शटल-रहित करघों को 5 प्रतिशत के बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह, स्वचालित रेशम चरखी और प्रसंस्करण मशीनरी और इसके पुर्जों को बुनियादी शुल्क से पूर्ण छूट दी जा रही है। यह भी प्रस्ताव है कि 5 प्रतिशत के बुनियादी सीमा शुल्क की यह छूट और मौजूदा रियायती दर केवल नई टेक्सटाइल मशीनरी तक सीमित की जाए। सेकेंड हैंड मशीनरी पर अब 7.5 प्रतिशत का बुनियादी शुल्क लगेगा। वस्त्रोद्योग संबंधी अन्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

- ऊन अपशिष्ट और ऊन टॉप पर बुनियादी सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना;
- टिटेनियम डायोक्साइड पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करना; और
- बुलेट प्रूफ हेलमेटों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त आरामिड यार्न और फैब्रिक को बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट देना।

193. ब्रांडेड रेडीमेड परिधानों पर 10 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लागू है जिसमें फुटकर बिक्री मूल्य से 55 प्रतिशत की छूट दी जाती है। शुल्क में 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ-साथ, मैं यह छूट 70 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। इसके परिणामस्वरूप, खुदरा बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में, शुल्क की दर 4.5 प्रतिशत से घटकर 3.6 प्रतिशत तक आ जाएगी।

194. हमारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र कम लागत वाले चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए उत्तम क्षेत्र है। इस क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मैं कुछ डिस्पोजेबल सामग्रियों और उपकरणों के विनिर्माण हेतु निर्दिष्ट पुर्जों, संघटकों और कच्चे माल पर 6 प्रतिशत की रियायती सीवीडी और बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। कोरोनरी स्टेंट्स और ह्रदय वाल्वों के विनिर्माण हेतु निर्दिष्ट कच्चे माल को बुनियादी सीमाशुल्क से पूर्ण छूट और सीवीडी भी दी जा रही है। ये रियायतें वास्तविक प्रयोक्ता की दशा के अध्यधीन होंगी।

195. विनिर्माण क्षेत्र की सहायता के लिए मेरे अन्य प्रस्तावों में ये शामिल हैंः

- निम्न पर बुनियादी सीमाशुल्क से पूर्ण छूट
    - रद्दी कागज; और
    - एलसीडी और एलईडी टीवी पैनल और मोबाइल फोनों के लिए मेमोरी कार्ड के पुर्जे।
- एडल्ट डायपर के विनिर्माण हेतु निर्दिष्ट कच्चे माल पर बुनियादी सीमाशुल्क 10 प्रतिशत अथवा 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना जिस पर सीवीडी 6 प्रतिशत और विशेष सीवीडी शून्य होगी।

196. मेरा ध्यान कुछ ऐसे क्षेत्रों की दुर्दशा की ओर आकर्षित किया गया है जो अत्यधिक श्रम प्रधान हैं और आम आदमी के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। सहायता के उपाय के रूप में, मैं साइकिलों पर बुनियादी सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत और साइकिल के पुरजों पर 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

197. हाथ से बनी माचिसों पर, वर्तमान में, उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट उपलब्ध है जबकि अन्य पर मानक दर लगती है। यह प्रस्ताव है कि अर्ध-मशीनीकृत इकाइयों द्वारा विनिर्मित माचिसों पर उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया जाए।

स्वास्थ्य और पोषण

198. प्रस्ताव है कि छः विशिष्ट जीवनक्षक दवाएं/टीके को उत्पाद शुल्क/सीवीडी से पूर्ण छूट सहित 5 प्रतिशत के रियायती बुनियादी सीमाशुल्क का विस्तार किया जाए। एचआईवी-एड्स, गुर्दे का कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार अथवा निवारण के लिए प्रयोग की जाती हैं।

199. महिलाओं और बच्चों में प्रोटीन की कमी भारत में कुपोषण के सर्वाधिक मूल कारणों में एक है। मैं सोया प्रोटीन सांद्र और आइसोलेटिड सोया प्रोटीन पर बुनियादी सीमा शुल्क क्रमशः 30 प्रतिशत अथवा 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही, सभी प्रसंस्करित सोया खाद्य उत्पादों पर उत्पाद शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत की मेरिट दर पर किया जा रहा है।

200. आयोडीन युक्त नमक का उपभोग आयोडीन की कमी और संबद्ध बीमारियों से बचाता है। मैं आयोडीन पर 6 प्रतिशत के घटे हुए उत्पाद शुल्क के साथ 2.5 प्रतिशत के रियायती बुनियादी सीमाशुल्क की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ।

201. प्रोबियोटिक्स बैक्टिरिया के संक्रमण का मुकाबला करने वाले किफायती साधन हैं। यह प्रस्ताव है कि इस पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए।

पर्यावरण

202. सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी क्षमता को पूर्णतया प्राप्त करने के लिए, सौर तापीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मैं ऐसी परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना हेतु संयंत्र और उपस्कर आदि को विशेष सीवीडी से पूर्णतया छूट का प्रस्ताव करता हूँ।

203. ऊर्जा बचाने वाले साधनों के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए पहले ही रियायतें दी गई हैं। मैं काम्पैक्ट फलोरेसेंट लैंपों के लिए प्रयोग होने वाले कोटिंग रसायन को बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट का प्रस्ताव करता हूँ। एलईडी लैंपों पर भी उत्पाद शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत किया जा रहा है।

204. हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण हेतु आवश्यक निर्दिष्ट पूर्जे बुनियादी सीमाशुल्क से पूर्णतया छूट और 6 प्रतिशत के रियायती उत्पाद शुल्क/सीवीडी के साथ विशेष सीवीडी का लाभ पा रहे हैं। यह रियायत निर्दिष्ट अतिरिक्त वस्तुओं और बिजली अथवा हाइब्रिड वाहन विनिर्माताओं को आपूर्ति हेतु बैटरी पैकों के विनिर्माण हेतु आयात की गई लिथियम आयन बैटरियों, पर भी दी जा रही है।

205. चालू खाता घाटे के प्राथमिक उत्प्रेरकों में से एक, इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं के आयात में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि रही है। मुझे सलाह दी गई है कि बेहतर परिणामों के लिए इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु पहले किए गए उपायों को सुदृढ़ किया जाए। मैं मानक सोने की छड़ों; 99.5 प्रतिशत से अधिक की शुद्धता वाले सोने के सिक्कों और प्लैटिनम पर बुनियादी सीमा शुल्क 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत और मानक-भिन्न सोने पर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इनके ही अनुरूप, स्वर्ण अयस्क, सान्द्र और परिष्करण हेतु डोर छड़ों पर बुनियादी शुल्क 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत किया जा रहा है। उत्पाद शुल्क की ओर, परिष्कृत सोने पर शुल्क उसी अनुपात में बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत किया जा रहा है।

206. राउन्ड ट्रिपिंग से बचने के लिए, कटे और पालिश किए हुए, रंगीन रत्न पत्थरों पर हीरों के समान 2 प्रतिशत का बुनियादी सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।

अतिरिक्त संसाधन संग्रहण

207. मैं, अब "दोषपूर्ण" वस्तु संबंधी अपने प्रस्तावों को शुरु करता हूँ। मैं विद्यमान विशिष्ट दरों में 10 प्रतिशत के *यथामूल्य* घटक को जोड़ते हुए 65 मि.मी. से बड़ी सिगरेटों पर बुनियादी उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। यह *यथामूल्य* शुल्क पैक पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के 50 प्रतिशत पर प्रभार्य होगा।

208. मैं, हाथ से बनी बीड़ियों पर बुनियादी उत्पाद शुल्क में सामान्य वृद्धि करते हुए ₹8 से ₹10 प्रति हजार और मशीन से बनी बीड़ियों पर ₹19 से ₹21 प्रति हजार करने का प्रस्ताव भी करता हूँ। प्रति वर्ष 20 लाख बीड़ियों तक निकासियों हेतु हाथ से बनी बीड़ियों को प्राप्त विद्यमान छूट बनाए रखी जा रही है।

209. पान मसाला, गुटका, चबाने वाला तंबाकू, अनिर्मित तंबाकू और थैलियों में सुगंधित जर्दे वाले तंबाकू पर मिश्रित लेवी योजना के अंतर्गत उत्पाद शुल्क लगता है। इन वस्तुओं के लिए प्रति पैकिंग मशीन निर्दिष्ट शुल्क की दरें, इस उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली मशीनों की दक्षता में सुधारों को ध्यान में रखते हुए, बढ़ाई जा रही हैं।

210. भारत में उत्पादित कच्चे पैट्रोलियम तेल पर तेल उद्योग विकास अधिनियम के अंतर्गत ₹2500 प्रति मीट्रिक टन का उपकर लगता है। यह दर पिछली बार 2006-07 के बजट में संशोधित की गई थी। मैं, सूचकांकन के उपाय के रूप में, उपकर की दर बढ़ाकर ₹4500 प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

211. एक निर्धारित प्रारंभिक सीमा से ऊपर की क्षमता के ईंजन वाली बड़ी कार/एमयूवी/ एसयूवी और जिनकी कीमत प्रति वाहन 40,000 अमरीकी डालर से अधिक हैं, की पूर्णतया तैयार इकाइयों को टाइप अनुमोदन के बगैर, आयात की अनुमति है। ऐसे वाहनों पर बुनियादी सीमा शुल्क यथा मूल्य 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जा रहा है।

यौक्तिकीकरण उपाय

212. पैकेज वाली सीमेंट, चाहे मिनी-सीमेंट संयंत्रों अथवा अन्य द्वारा विनिर्मित हो, पर प्रति बोरी खुदरा बिक्री मूल्य पर निर्भर करते हुए विभेदक उत्पाद शुल्क लगता है। यह प्रस्ताव है कि मिनी-भिन्न सीमेंट संयंत्रों के लिए 12 प्रतिशत + ₹120 प्रति मीट्रिक टन और मिनी-सीमेंट संयंत्रों के लिए 6 प्रतिशत + ₹120 प्रति मीट्रिक टन की एकीकृत दर निर्धारित की जाए। यह प्रस्ताव है कि 30 प्रतिशत की शुल्क में कटौती कम करके खुदरा बिक्री मूल्य पर यह शुल्क लगाया जाए।

213. इस सदन को स्मरण होगा कि मैंने पिछले बजट में महंगी ब्रांडेड कीमती धातुओं के आभूषणों पर 1 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाए जाने की शुरूआत की थी। युक्तिकरण के उपाय के तौर पर, मैं बिना ब्रांड के आभूषणों को इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, इसके क्रियान्वयन को सरल करने और छोटे कारीगरों और सुनारों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को कम करने के लिए, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ किः

- यह शुल्क कारोबार मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर टैरिफ मूल्य पर लगाना;
- लुघु उद्यम को दी जाने वाली छूट पिछले वर्ष में ₹4 करोड़ से कम कारोबार वाली इकाइयों के लिए ₹1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार के लिए भी देना;
- कारोबार की गणना टैरिफ मूल्य के आधार पर करना; और
- पंजीकरण और भुगतान की जिम्मेदारी जॉब वर्क पर आभूषणों के विनिर्माण करवाने वाले व्यक्ति पर डाली जाएगी।

214. मैं चांदी के ब्रांडेड आभूषण को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

215. वाणिज्यिक वाहनों की बाडी के निर्माण को, इस समय, उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है। इस शुल्क के स्थान पर, लागू यथामूल्य शुल्क के अलावा चेसिस पर ₹10,000 की एक विशेष दर लगाई जा रही है। यह शुल्क ढांचा प्रतिगामी है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि शुल्क के इस विशेष घटक को परिवर्तित करके 3 प्रतिशत की यथामूल्य दर कर दी जाए।

216. पिछले बजट में, ड्रेजर सहित पोतों और जलयानों पर दी जाने वाली उत्पाद शुल्क छूट वापस ली गई थी। तदनुसार, 5 प्रतिशत सीवीडी इनके आयातों पर लगायी गयी थी। चूंकि विदेश जाने वाले जलयानों के आयात पर यह शुल्क लगाने की मंशा नहीं थी, इसलिए मैं, पूर्वव्यापी प्रभाव से इन जलयानों को सीवीडी से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में विनिर्मित पोत, जलयान और ड्रेजर को तटीय जलयानों में परिवर्तित होने वाले विदेशगामी पोतों की तुलना में, कठिनाई का सामना न करना पड़े, आवश्यक सुरक्षा मुहैया की जा रही है।

यात्री सामान भत्ता

217. विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के यात्री सामान भत्ते को पिछली बार 2004 में संशोधित किया गया था। मैं भारतीय मूल के पात्र वयस्क यात्रियों के लिए शुल्क रहित भत्ता ₹25,000 से बढ़ाकर ₹35,000 और 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए ₹12,000 से बढ़ाकर ₹15,000 करने का प्रस्ताव करता हूँ।

218. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित मेरे प्रस्तावों से पूरे वर्ष में ₹27,280 करोड़ का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान है।

219. प्रत्यक्ष कर संबंधी मेरे प्रस्तावों से इस वर्ष के लिए ₹4500 करोड़ का निवल राजस्व घाटा होने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों से ₹45,940 करोड़ का निवल राजस्व अभिलाभ होगा और बजट में ₹41,440 करोड़ का निवल अभिलाभ होगा।

220. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, यह वर्ष चुनौतियों से भरा रहा था। कई वैश्विक और घरेलू कारकों ने उस विकास पर हमला बोला जो पिछले दो वर्षों में किया गया था। लेकिन भारत ने चुनौतियों के चलते प्रगति की है और भारत अब भी ऐसा ही करेगा। हर संकट के बीच एक अवसर भी होता है। यह फिर से सोचने, आकलन करने और नए विचारों एवं नीतियों के लिए रास्ता बनाने का अवसर है। इसी भावना से मैंने इस वर्ष का बजट पेश किया है। इसका लक्ष्य यह है कि कारपोरेटों, किसानों, उद्यमियों और कामगारों के लिए एक समर्थकारी माहौल बनाना है ताकि जोरदार विकास के लिए पहल की जा सकें। इसका लक्ष्य यह भी सुनिश्चित करना है कि विकास के लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों तक पहुंचे। भारत एक बड़े पुनरुत्थान के मुहाने पर खड़ा है। आज की गई घोषणाएं कल सुबह के अखबारों की सुर्खियां बनती हैं अथवा नहीं यह कोई अहम बात नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि वे एक दशक के बाद के भारत को सुर्खियों में लाने में सहायक होंगी।

अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूँ।